Asian Age, Delhi, 13/10/2026
Page No: 4, Size: 14.29cm × 17.30cm

CJI says NHRC 'trusted address' for aggrieved

'Human rights body disposed of 98% cases filed in 33 yrs'

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, OCT. 12

Chief Justice of India (CJI) Surya Kant on Monday said the National Human Rights Commission has grown into a "trusted address" for the aggrieved, adding that the true measure of a human rights institution lies not just in the number of cases it decides but in whether it can be heard by those least able to make themselves heard.

Speaking at the NHRC's 33rd foundation day function at Vigyan Bhavan here, the CJI said the commission goes where courts cannot easily go and can act on its own without waiting to be asked.

He cited its interventions in custodial torture and deaths; bonded labour, silicosis and the rights of marginalised communities, stressing that human rights protection must also seek answerability, meaningful relief and measures to prevent recurrence.

"If the Constitution is the promise, the commission is one of its keepers. It goes where the court cannot easily go; it listens to those who cannot easily speak, and it can act on its own without waiting to be asked," the CJI said.



CJI Justice Surya Kant addresses the 33rd Foundation Day function and National Conference of the National Human Rights Commission in New Delhi. — PTI

The CJI also added that an institution's influence comes from credibility, not coercive force. "Its moral authority is like a bank balance," he said, built slowly and spent quickly.

He said a right that works for the powerful, but fails the powerless is not a right in the true sense.

"It is a privilege with better branding. The true measure of a human rights institution is therefore not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard," he said.

He noted that in 33 years, the NHRC has registered over 24 lakh cases and disposed of more than 23 lakh, with the disposal rate exceeding 98 per cent.

Tracing the widening scope of Article 21, he said it has evolved from protecting life and liberty to guaranteeing a life of dignity, including health, food, shelter, livelihood and a clean environment.

"What began as a protection against the deprivation of life and personal liberty has evolved into a guarantee of a life lived with dignity. The right to health, food, shelter, livelihood and a clean environment are now understood as essential to that dignity," the CJI said.

Tribune, Delhi, 13/10/2026
Page No: 14, Size: 5.42cm × 10.85cm

CJI: Courts must intervene when rights violated

NEW DELHI, OCTOBER 12

Surya Kant, CJI, on Monday underscored the need for constitutional courts to intervene to protect fundamental rights of citizens.

"Human Rights Commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention," the CJI said, addressing the NHRC's 33rd Foundation Day celebrations in New Delhi. — TNS

Millennium Post, Delhi, 13/10/2026
Page No: 6, Size: 34.34cm × 14.29cm

NHRC has grown into trusted address for aggrieved: CJI

Office of Chief Justice of India put to 'Agni Pariksha' every minute: NHRC chief

MPOST BUREAU
New Delhi, October 12

Chief Justice of India Surya Kant on Monday said the National Human Rights Commission (NHRC) had emerged as a "trusted address" for the aggrieved, asserting that the effectiveness of a human rights institution should be judged not merely by the number of cases it disposes of but by its ability to reach the most vulnerable.

Addressing the NHRC's 33rd Foundation Day function at Vigyan Bhawan, the CJI said the commission had registered over 24 lakh cases and disposed of more than 23 lakh, achieving a disposal rate exceeding 98 per cent.



CJI Surya Kant addresses the 33rd Foundation Day function of the NHRC PTI

KEY POINTS

- The CJI said the commission had registered over 24L cases and disposed of over 23L, achieving a disposal rate exceeding 98%
- He said human rights protection must go beyond identifying violations to ensuring accountability, meaningful relief for victims and systemic changes to prevent their recurrence

He said human rights protection must go beyond identifying violations to ensuring accountability, meaningful relief for victims and systemic changes to prevent their recurrence. Referring to cases involving custodial deaths, bonded labour and silicosis, he highlighted the commission's role in protecting marginalised communities.

"A right that works for the powerful, but fails the powerless is not a right in the true sense," Kant said, adding that the commission's moral authority depended on credible inquiries, timely interventions and honest reporting.

He also underlined the expanding scope of Article 21, saying the right to life had evolved to encompass dignity, healthcare, food, shelter, livelihood and a clean environment.

Highlighting access to safe drinking water as a human rights concern, the CJI said providing household tap connections was insufficient unless water remained safe, reliable and available when needed. Contaminated water, he warned, posed a threat to life and health.

He called for coordinated efforts by governments, courts and human rights institutions to address water insecurity, cautioning that depleted aquifers and polluted rivers would burden future generations. He also welcomed the launch of the NHRC India mobile application and digitisation of records.

NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd), meanwhile, described the CJI's office as the country's most powerful and vulnerable, saying it faced an "Agni Pariksha" every minute, "not necessarily by sacred souls" at all times. The remarks drew a lighter reaction from the gathering.

Millennium Post, Delhi, 13/10/2026
Page No: 1, Size: 24.08cm × 21.70cm

SC must not be dragged into politics, says CJI

MPOST BUREAU
New Delhi, October 12

Chief Justice of India Surya Kant on Monday said the Supreme Court must not be drawn into political disputes amid protests against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and alleged police excesses in Delhi, while assuring citizens that the court remains accessible to anyone seeking legal remedies.

"The doors of the Supreme Court are open for everybody," Kant told reporters on the sidelines of an event marking the 33rd anniversary of the National Human Rights Commission (NHRC). CONTINUED ON P4

CJI

He said the court would hear grievances in accordance with the law but declined to comment on the ongoing protests, calling law and order outside his domain.

The remarks came after Congress president Mallikarjun Kharge and Leader of Opposition Rahul Gandhi sought a meeting with the CJI on October 12 to submit a memorandum demanding Kumar's resignation, an end to alleged electoral irregularities, a halt to the Special Intensive Revision of electoral rolls and a return to paper ballots. Kant declined, citing judicial propriety and the risk of discussing pending cases outside court proceedings.

Opposition leaders and supporters subsequently marched towards the Supreme Court to submit a petition over alleged vote theft and police action against protesters.

Addressing lawyers who sought urgent hearings on alleged detentions and restrictions, Kant said peaceful demonstrations were permissible at designated locations but must not disrupt court proceedings or obstruct lawyers, staff and litigants.

The Supreme Court is scheduled to hear related petitions on Tuesday, including concerns over detentions, transport restrictions and access to justice.

Indian Express, Delhi, 13/10/2026
Page No: 10, Size: 15.53cm × 19.50cm

CJI: Right to life includes right to enjoy pollution-free water, air

Amaal Sheikh
New Delhi, October 12

At NHRC's 33rd foundation day, CJI Kant urges courts and human rights panels to protect the most vulnerable

EMPHASISING THAT human rights violations require coordinated action across institutions, Chief Justice of India Surya Kant Monday called on courts, governments, and other institutions to work together to address systemic failures and protect the rights of the most vulnerable.

"Courts must intervene when constitutional rights are violated. Human rights commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention," he said.

Addressing the National Human Rights Commission's 33rd foundation day event in New Delhi and conference on 'Water-the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water', the CJI said, "A right that works for the powerful but fails the powerless is not a right in true sense... It is a privilege with better branding. The true measure of a human rights institution is therefore not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard."

He said the Constitution's promise of dignity, equality, liberty and justice must be observed "day after day, in the field, in the lock-up, in the hospital ward and in the village at the end of the road".

He cited the commission's interventions in cases involving custodial torture, deaths, bonded labour, and rights of marginalised communities. He also said the state HRC "can hear a complaint in the language in which it is made, reach the place where it has occurred and understand local circumstances in which it has taken place".

On Article 21, he said it had evolved "into a guarantee of a life lived with dignity" and that the Supreme Court's environmental jurisprudence had recognised that the right to life includes the right to enjoy pollution-free water and air. "The constitutional question, therefore, is no longer only what the State must refrain from doing, but also what it must ensure so that people can live with dignity," he said.

Acknowledging India's efforts to expand access, including household tap connections in rural areas, the CJI said the question now is whether the water is "safe, reliable and available when the family needs it".

"A mere tap is not the same as access to water. A pipe that runs dry cannot fulfil the promise that the pipe represents. And water contaminated with arsenic, fluoride or other harmful substances is not a service; it is a threat to life and health," he said.

He also said that rights of future generations cannot be ignored. "Every aquifer depleted, every river polluted and every source of drinking water compromised, transfers a burden to a generation that had no part in creating it... If human rights are ultimately about protecting human dignity, then that protection must extend across time. We must leave the posterity not merely a Constitution that promises rights, but a country in which those rights remain possible to enjoy," he said.

NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian, meanwhile, said that "while the world had made progress over the past century, it was also grappling with climate change and growing inequality".

Times of India, Delhi, 13/10/2026
Page No: 2, Size: 21.27cm × 17.38cm

Quit, we'll find replacement, Ker Cong tells CJI, then deletes post

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Hitting out at Congress after its Kerala unit sought Chief Justice **Surya Kant**'s resignation, BJP Monday said it is a confirmation of its charge that the party is out to destroy constitutional institutions.



Reacting the CJI'ss comments to the media over the Delhi protests that law and order is not his domain, Kerala Congress said he should then quit. "We will find your replacement who can handle it," it said.

The CJI was speaking on sidelines of an NHRC event, and his comments were seen as a reiteration of doctrine of the separation of powers among different institutions.

Kerala Congress, facing backlash, later deleted the post and removed the person responsible from his post. However, BJP said it was confirmation of their charge that the opposition party was seeking to intimidate and destroy institutions. Union minister Kiren Rijiju said the Congress's next target is judiciary as it wants to destroy all constitutional and democratic institutions of the country. "All anti-India gangs are joining hands. All patriotic Indians will also come together. Protest is the right of every citizen but brazenly abusing constitutional authorities is deplorable. Congress is direction-less now."

In a swipe at Congress MP Rahul Gandhi, he said Congress can improve its numbers if it has a mature and committed neta who doesn't enjoy 200 holidays in a year.

Targeting Congress, BJP MP Nishikant Dubey said, "After President, V-P, PM and CEC, Maharaja Rahul Gandhi has now demanded CJI's resignation too."

Now, he said, Rahul will be PM, Sharjeel Imam president, Priyanka Gandhi Vadra the CJI and Khalistani activist Gurpatwant Singh Pannun the CEC. India's ambassador to the US will be George Soros, Dubey added.

Pioneer, Delhi, 13/10/2026
Page No: 1, Size: 9.29cm × 17.62cm

Ye mera mudda nahin hai : CJI

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

Drawing the lines clear between institutions, a day after declining to meet INDIA bloc leaders, the Chief Justice of India (CJI) on Monday asserted that the Supreme Court cannot be dragged into a "political battlefield" and said its doors were open to everyone through the legal route.

He also refused to be drawn into the issue of the current spate of protests against the Chief Election Commissioner, stating, "*Ye mera mudda nahin hai.* (This matter does not pertain to my domain,



adding that it was related to law and order in reply to a media query.

During an interaction with reporters on the sidelines of an event commemorating the 33rd anniversary of the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan here, the CJI declined to divulge reasons for refusing to meet Congress leaders over the issue of "vote chori".

CONTINUED ON >> P4

Ye mera mudda nahin hai: CJI

Asked about the opposition's march to the Supreme Court, the CJI said, " I will not make any comments on it."

" We will not allow SC to become a political battlefield, the CJI said, possibly reacting to the Opposition's decision to take out a march to SC. "Wherever designated places are, the protest can be held there in accordance with law," the CJI added further. Speaking to reporters, he added that any common citizen or elected representative could approach the court, and the court would hear their concerns and grant relief in accordance with the law.

Earlier, the CJI had declined a request from Lok Sabha leader of the opposition Rahul Gandhi and Rajya Sabha leader of the Opposition Mallikarjun Kharge for a meeting to discuss issues arising from the ongoing protests in Delhi.

In a letter dated October 11 to Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, in response to their request for an appointment to discuss the protest against CEC Gyanesh Kumar, the CJI advised the two Opposition leaders to approach the Supreme Court through the judicial process rather than submit a memorandum on the administrative side. He also assured them that the court would hear any petition on the issues at the earliest opportunity, in accordance with the law. The request concerned allegations of irregularities involving the Chief Election Commissioner (CEC) and the Election Commission of India, alleged arbitrary arrests of students, the closure of metro stations and the cancellation of trains amid protests in the national Capital.

At the outset, the issues referred to hereinabove are already sub judice before the Supreme Court of India. Therefore, convening a meeting to discuss pending cases would wholly contravene the principle of Separation of Powers, an intrinsic facet of the basic structure doctrine of the Constitution of India, and would be incompatible with the established ethics and judicial propriety. " In this vein, I also wish to remind you that within our constitutional framework, the Supreme Court of India is not endowed with any administrative powers to deal with the issues highlighted in your letter," he said.

" However, in the exercise of our jurisdiction under Article 32 of our Constitution, along with other plenary powers, including that of judicial review, we are duty-bound to consider on the judicial side the gravamen of issues affecting the citizens of India," the CJI said, responding to Gandhi and Kharge's letter, which was shared by the Congress on Monday.

The Supreme Court of India reiterates its commitment to preserve and protect the Fundamental Rights of every citizen of India, and that they are entitled to seek enforcement of such rights at all hours through the procedure known in law, the CJI said.

Business Standard, Delhi, 13/10/2026
Page No: 14, Size: 25.48cm × 17.65cm

Not my domain: CJI on situation during Delhi protests, curbs

"*Ye law and order ka mudda hai. Ye mera vishay nahin hai.* (This is a matter of law and order; it doesn't pertain to my domain)," Chief Justice of India (CJI) Surya Kant said on Monday, when asked about the situation in view of the protests against the CEC in Delhi over the past few days and the associated restrictions. He said this during an interaction with reporters on the sidelines of an event to commemorate the 33rd anniversary of the NHRC at Vigyan Bhawan here.



PTI

Tribune, Delhi, 13/10/2026
Page No: 9, Size: 15.93cm × 14.79cm

Probe cops' misconduct against women protesters: CRPF officer

ANIMESH SINGH
TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, OCTOBER 12

A serving CRPF Assistant Commandant has lodged a complaint with the National Commission for Women (NCW), the National Human Rights Commission (NHRC) and the Delhi Police Commissioner over alleged misbehaviour by police and paramilitary personnel with women protesters during the ongoing agitation against alleged "vote theft" in the national capital. He has sought an impartial investigation and appropriate legal and departmental action if the allegations are substantiated.

In his complaint, CRPF Assistant Commandant Rahul Solanki, who is posted in Manipur, has attached links to three videos circulating on social media that purportedly show security personnel and police personnel misbehaving with women protesters. He has clarified that he is submitting the complaint solely in his "individual capacity as a concerned citizen of India, committed to the Constitution, the rule of law and the dignity and safety of women".

Solanki has sought "an impartial investigation and forensic verification of the videos, including examination of the complete incident footage and relevant circumstances". He has further requested that, if the allegations are substantiated, appropriate legal and departmental action be taken against the personnel and supervisory officers found responsible. Conversely, if the footage is found to be fabricated or materially manipulated, he has sought appropriate legal action and the removal of misleading content in accordance with the law.

The CRPF officer has urged the NCW, NHRC and the Delhi Police Commissioner to issue directions and ensure gender-sensitivity training for police personnel deployed on the ground, particularly those handling women protesters. The objective, he said, should be to safeguard their dignity, safety and legal rights. "I do not claim to have independently verified the footage," Solanki stated in the complaint.

DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 13/10/2026
Page No: 3, Size: 34.16cm × 30.82cm

मानवाधिकार आयोग की असली कसौटी सबसे कमजोर की आवाज सुनना : सीजेआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एक भरोसेमंद ठिकाना बन गया है। आयोग की असली कसौटी सिर्फ यह नहीं है कि वह कितने मामलों का निपटारा करता है, बल्कि यह भी है कि क्या वहां उन लोगों की आवाज सुनी जा सकती है, जो अपनी बात कहने में सबसे कम सक्षम हैं।

एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'अगर संविधान एक वादा है तो आयोग उसके रखवालों में से एक है। इसकी पहुंच उन जगहों तक है, जहां अदालत आसानी से नहीं पहुंच सकती; यह उन लोगों की सुनता है जो आसानी से बोल नहीं सकते और किसी के कहने का इंतजार किए बिना खुद कार्रवाई कर सकता है।'

सीजेआइ ने कहा कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में शुरू हुआ यह अधिकार, गरिमा से जीवन जीने की गारंटी बन गया है। उन्होंने 'जल- जीवन

आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- एनएचआरसी को भरोसेमंद मानते हैं पीड़ित



नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते सीजेआइ सूर्यकांत। एएनआइ

का अमृत : पानी के अधिकार के जरिये मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ इस आयोजन के लिए एनएचआरसी की सराहना की। कहा कि भारत ने पेयजल तक पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं, लेकिन क्या पानी सुरक्षित और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध है? आर्सेनिक, फ्लोराइड या अन्य हानिकारक पदार्थों से दूषित पानी सेवा नहीं, बल्कि जीवन व स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

एनएचआरसी प्रमुख बोले, हर मिनट अग्निपरीक्षा से गुजरता है सीजेआइ का कार्यालय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) वी. रामासुब्रमण्यम ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय हर दिन-हर मिनट अग्निपरीक्षा से गुजरता है और यह परीक्षा लेने वाले हमेशा पवित्र आत्माएं नहीं होते। प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सीजेआइ का कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और सबसे जोखिम वाला कार्यालय बन गया है। उन्होंने सम्मेलन के विषय पर बोलते हुए कहा कि 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से हम वायुमंडल में दो लाख करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइआक्साइड छोड़ चुके हैं। अगर हम मौजूदा रास्ते पर चलते रहे तो अत्यधिक गर्मी के कारण हमारे ग्रह के कुछ हिस्से रहने लायक नहीं रह जाएंगे। जलवायु के कारण पलायन बढ़ेगा। खाद्य व पानी की कमी बार-बार होगी। तूफान और बाढ़ से अधिक से अधिक लोग मारे जाएंगे।

Virat Vaibhav, Delhi, 13/10/2026
Page No: 1, Size: 13.15cm × 9.53cm

'सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले', सीजेआई सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक से न मिलने की बताई वजह



एजेंसी ■ नई दिल्ली

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और यह कानून के मुताबिक शिकायतों की सुनवाई करता है, ताकि जिन्हें राहत मिलनी चाहिए, उन्हें वह मिल सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 33वें स्थापना दिवस समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, मुझे उनका पत्र कल मिला और मैंने कल रात ही उसका जवाब दे दिया। पत्र पर परसों की तारीख थी, लेकिन मैं बाहर था, इसलिए मुझे वह कल मिला। मैंने अपने जवाब में कुछ कारण बताए हैं और उनसे न मिल पाने की अपनी असमर्थता जाहिर की है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनसे ही पत्र की सामग्री के बारे में पूछें। मैंने इसकी गोपनीयता बनाए रखी है। सीजेआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है, चाहे वह आम नागरिक हो या किसी चुने हुए निकाय का सदस्य। भारत के हर नागरिक को हमारे पास आने का अधिकार है।

Dainik Jagran, Delhi, 13/10/2026
Page No: 13, Size: 12.41cm × 15.24cm

मानवाधिकार आयोग की असली कसौटी है कमजोरों की आवाज सुनना : सीजेआइ

- एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बोले जस्टिस सूर्यकांत
- सीजेआइ ने कहा, एनएचआरसी को सबसे अधिक भरोसेमंद मानते हैं पीड़ित



सीजेआइ सूर्यकांत ●

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एक भरोसेमंद ठिकाना बन गया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग की असली कसौटी सिर्फ यह नहीं है कि वह कितने मामलों का निपटारा करता है, बल्कि यह भी है कि क्या वहां उन लोगों की आवाज सुनी जा सकती है, जो अपनी बात कहने में सबसे कम सक्षम हैं।

एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'अगर संविधान एक वादा है, तो आयोग उसके रखवालों में से एक है। इसकी पहुंच उन जगहों तक है जहां अदालत आसानी से नहीं पहुंच सकती; यह उन लोगों की सुनता है जो आसानी से बोल नहीं सकते और किसी के कहने का इंतजार किए बिना खुद कार्रवाई कर सकता है।' इस संदर्भ में उन्होंने हिरासत में यातना या मौत, बंधुआ मजदूरी, औद्योगिक क्षेत्रों में सिलिकोसिस के खतरे और हाशिये पर रह रहे समुदायों के अधिकारों की रक्षा से जुड़े मामलों में उसके हस्तक्षेप का जिक्र किया। सीजेआइ ने कहा कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में शुरू हुआ यह अधिकार, गरिमा से जीवन जीने की गारंटी बन गया है। उन्होंने 'जल- जीवन का अमृत : पानी के अधिकार के जरिये मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ इस आयोजन के लिए एनएचआरसी की सराहना की। भारत ने पेयजल तक पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि घटता भूजल, हर प्रदूषित नदी और पेयजल का हर प्रभावित स्रोत उस पीढ़ी पर बोझ डालता है, जिसकी उसमें कोई भूमिका नहीं थी।

'हर मिनट अग्निपरीक्षा से गुजरता है सीजेआइ का कार्यालय'

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) वी. रामासुब्रमण्यम ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय हर दिन-हर मिनट अग्निपरीक्षा से गुजरता है और यह परीक्षा लेने वाली हमेशा पवित्र आत्माएं नहीं होतीं। प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सीजेआइ का कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और सबसे जोखिम वाला कार्यालय बन गया है। उन्होंने सम्मेलन के विषय पर बोलते हुए कहा कि 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से हम वायुमंडल में दो लाख करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइआक्साइड छोड़ चुके हैं। अगर हम मौजूदा रास्ते पर चलते रहे तो अत्यधिक गर्मी के कारण हमारे ग्रह के कुछ हिस्से रहने लायक नहीं रह जाएंगे। जलवायु के कारण पलायन बढ़ेगा। खाद्य व पानी की कमी बार-बार होगी।

Veer Arjun, Delhi, 13/10/2026
Page No: 1, Size: 18.79cm × 22.91cm

यह मेरा मुद्दा नहीं है: सीजेआई

दिल्ली में प्रदर्शन और पाबंदियों पर बोले प्रधान न्यायाधीश

विधि संवाददाता

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों और इसके चलते लगाई गई पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर कहा, यह मेरा मुद्दा नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। सप्ताहांत में राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, 10 अक्टूबर को 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए और शहर के सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच की गई। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनों और आवाजाही पर पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा, यह मेरा मुद्दा नहीं है। उच्चतम न्यायालय तक विपक्ष के मार्च के बारे में पूछे जाने पर सीजेआई ने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुलाकात से इनकार करने का कारण पूछे जाने पर सीजेआई ने कहा कि उन्होंने पत्र के जवाब में कुछ कारण बताए हैं और स्पष्ट किया है कि वह मुलाकात नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पत्र की विषयवस्तु बताने से इनकार करते हुए कहा, आप पत्र की विषयवस्तु उनसे पूछिए। मैंने इसकी गोपनीयता बनाए रखी है। सांसदों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन जारी रखने के बारे में पूछे जाने पर सीजेआई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिक हो या किसी निर्वाचित निकाय का सदस्य, हर भारतीय नागरिक को न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार है। न्यायालय कानून के अनुरूप मुद्दों पर सुनवाई करेगा और लोगों को उनके अधिकार दिलाएगा। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से मुलाकात नहीं करने के बारे में सीजेआई ने कहा कि इसके कई कारण थे। उन्होंने कहा कि मामले के भविष्य में न्यायालय पहुंचने की संभावना को देखते हुए हितों के टकराव से बचना जरूरी था। यह उनका और उनके साथी न्यायाधीशों का विचार था।



सीजेआई सूर्यकांत मीडिया से बात करते हुए। (एएनआई)

अधिकार

आम नागरिक हो या किसी निर्वाचित निकाय का सदस्य, हर भारतीय नागरिक को न्यायालय तक पहुंचने का है अधिकार

सुनवाई

न्यायालय कानून के अनुरूप मुद्दों पर सुनवाई करेगा और लोगों को उनके अधिकार दिलाएगा

विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए मामले लंबित हैं, ऐसे में उनसे मिलना नैतिकता के विरुद्ध होगा:सीजेआई

नई दिल्ली, (विसं)। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा है कि विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्दे अदालत में विचाराधीन हैं, ऐसे में उनके साथ मुलाकात करना ठपूर्व स्थापित नैतिक मानदंडों और न्यायिक मर्यादा के खिलाफ होगा। सीजेआई ने विपक्षी नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में सोमवार को मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कहा कि लंबित मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। उन्होंने दोनों नेताओं से आग्रह किया कि वे अपनी याचिका अदालत में जाकर या ऑनलाइन दाखिल करें। उन्होंने कहा, शुरुआत में ही यह ध्यान दिलाना जरूरी है कि उपरोक्त मुद्दे पहले से ही उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसलिए, लंबित मामलों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात बुलाना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पूरी तरह उल्लंघन होगा। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसी मुलाकात पहले से तय नैतिक नियमों और न्यायिक मर्यादा के भी खिलाफ होगी।उन्होंने कहा, इस संदर्भ में मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हू कि हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत, उच्चतम न्यायालय को आपके पत्र में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासनिक रूप से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

Dainik Savera, Delhi, 13/10/2026
Page No: 10, Size: 9.05cm × 14.21cm

मानवाधिकार आयोग की असली कसौटी आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना: जस्टिस सूर्यकांत

सवेरा न्यूज/नई दिल्ली, 12 अक्तूबर : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की असली कसौटी केवल मामलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक न्याय और उसके अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना है। संविधान हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा देता है और इन अधिकारों की रक्षा जमीन पर होनी चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को मुख्यातिथि के रूप में संबोधित करते कहा कि आयोग उन लोगों की आवाज बन सकता है, जिनके लिए अदालत तक पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हिरासत में यातना और मौत, बंधुआ मजदूरी तथा वंचित समुदायों के अधिकारों से जुड़े मामलों में आयोग की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के उल्लंघन की पहचान के साथ पीड़ितों को राहत देना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी जरूरी है।



न्यायमूर्ति सूर्यकांत

Dainik Bhaskar, Delhi, 13/10/2026
Page No: 1, Size: 6.69cm × 10.03cm

सुप्रीम सख्ती- केंद्र, एनएचआरसी को नोटिस

राज्य मानवाधिकार आयोग में खाली पदों पर जवाब मांगा

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोगों और सभी राज्यों से जवाब मांगा है। याचिका में दावा है कि मप्र, छग और मेघालय में लंबे समय से कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जबकि आंध्र, अरुणाचल और झारखंड के आयोग निष्क्रिय हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सोमवार को नोटिस जारी किए। रिटायर्ड जजों की एसोसिएशन की याचिका में खाली पद तय समय में भरने, कार्यवाहक अध्यक्षों की जगह स्थायी नियुक्ति और निष्क्रिय आयोगों के पुनर्गठन की मांग की गई है। आयोगों को पर्याप्त स्टाफ और जांच अधिकारी देने की मांग भी है। साथ ही, जिन आयोगों में शिकायतों पर कार्रवाई के लिए अध्यक्ष-सदस्य नहीं हैं, उन्हें एनएचआरसी से मामले ट्रांसफर न किए जाएं। एनएचआरसी यह भी बताए कि उसने 3 निष्क्रिय आयोगों को कितने मामले भेजे। • याचिका में आयोगों की वेबसाइट पर स्टाफ, खाली पद और वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग है। साथ ही, निर्देशों का पालन होने तक राज्यों और एनएचआरसी से स्टेटस रिपोर्ट लेने की मांग की गई है।

Dainik Bhaskar, Delhi, 13/10/2026
Page No: 1, Size: 17.33cm × 3.97cm

सुरक्षित पेयजल और जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर चर्चा

नई दिल्ली | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम ने जल संकट से निपटने के लिए तत्काल संरक्षण के प्रयास शुरू करने पर जोर दिया। वे आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 'जलः जीवन का अमृत-जल के अधिकार से मानव गरिमा को आगे बढ़ाना' विषय पर आयोजित सम्मेलन में सुरक्षित पेयजल और जलस्रोतों के संरक्षण पर चर्चा हुई। नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक युगल किशोर जोशी ने बताया कि भारत के पास दुनिया के मीठे पानी का करीब 4% है, जबकि आबादी में हिस्सेदारी 18% है। उन्होंने पंचायतों में जल बजट बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी निदेशक बृजेंद्र स्वरूप ने बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम में 43,326 करोड़ रुपए की 527 परियोजनाएं शामिल हैं।

Navbharat Times, Delhi, 13/10/2026
Page No: 9, Size: 6.77cm × 13.92cm

'NHRC पीड़ितों के लिए भरोसेमंद मंच'

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: CJI सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पिछले 33 वर्षों में पीड़ितों के लिए भरोसेमंद मंच बनकर उभरा है। किसी मानवाधिकार संस्था की असली कसौटी केवल मामलों के निपटारे की संख्या नहीं, बल्कि यह है कि वह उन लोगों की आवाज कितनी सुन पाती है, जो अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख सकते। NHRC के 33वें स्थापना दिवस समारोह में CJI ने कहा कि संसद ने 33 वर्ष पहले मानव गरिमा की रक्षा के लिए आयोग की स्थापना की थी। कहा, अगर संविधान एक वादा है, तो आयोग उसके संरक्षकों में से एक है।



CJI सूर्यकांत

Hindustan, Delhi, 13/10/2026
Page No: 9, Size: 9.84cm × 20.24cm

एनएचआरसी भरोसेमंद पता बन गया : सीजेआई

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि जो अधिकार ताकतवर लोगों के काम आता है, लेकिन कमजोर लोगों के लिए बेकार साबित होता है, वास्तव में वह एक विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पीड़ितों के लिए एक 'भरोसेमंद पता' बन गया है। सीजेआई विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के संबोधन में यह बात कही।

सीजेआई ने कहा, किसी मानवाधिकार संस्था का असली पैमाना सिर्फ यह नहीं है कि वह कितने केस तय करता है, बल्कि यह भी है कि क्या वह उन लोगों की भी बात सुन सकता है, जो अपनी बात कहने में सबसे कम काबिल हैं। उन्होंने वकालत करते हुए कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष करते हैं।

सीजेआई का पद हर पल अग्निपरीक्षा से गुजरता है : एनएचआरसी के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन ने सोमवार को कहा कि सीजेआई का पद हर पल अग्निपरीक्षा से गुजरता है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि यह परीक्षा हमेशा पवित्र आत्माओं द्वारा ही ली जाए। एनएचआरसी के स्थापना दिवस समारोह में अध्यक्ष ने कहा कि सीजेआई का पद देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे जीवंत और साथ ही सबसे संवेदनशील पद बन गया है। इसलिए सीजीआई का मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार करना, खासकर ऐसे समय में जब उनकी बहुत मांग है, एक उल्लेखनीय बात है।

संविधान वादा तो एनएचआरसी रखवाला

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, यदि संविधान वादा है, तो मानवाधिकार आयोग उसके रखवालों में से एक है। यह वहां भी जाता है, जहां अदातल आसानी से नहीं जा सकता। यह उन लोगों की सुनता है, जो आसानी से बोल नहीं सकते और यह पूछे जाने का इंतजार किए बिना खुद काम कर सकता है।



23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

सीजेआई ने कहा, संविधान हमसे एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछता है कि लाइन में सबसे आखिर में खड़ा इंसान कैसे जीता है? उन्होंने कहा कि 33 सालों में मानवाधिकार आयोग ने पंजीकृत हुए 24 लाख से अधिक मामलों में से 23 लाख से अधिक का निपटारा किया है। निपटारे की दर 98 फीसदी से अधिक है।

Jansatta, Delhi, 13/10/2026
Page No: 8, Size: 17.01cm × 8.65cm

एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर

प्रदर्शन, पाबंदी पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मेरा मुद्दा नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अक्तूबर।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने सोमवार को दिल्ली में कुछ दिनों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों और उसकी वजह से लगाई गई पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'यह मेरा मुद्दा नहीं है'। प्रधान न्यायाधीश विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

प्रदर्शनों और आवाजाही पर पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्दे अदालत में विचाराधीन हैं, ऐसे में उनके साथ मुलाकात करना पूर्व स्थापित नैतिक मानदंडों और न्यायिक मर्यादा के खिलाफ होगा।

उन्होंने कहा, 'यह मेरा मुद्दा नहीं है'। सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष के मार्च के बारे में पूछे जाने पर सीजेआइ ने कहा, 'मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा'। सीजेआइ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिक हो या किसी निर्वाचित निकाय का सदस्य, हर भारतीय नागरिक को कोर्ट तक पहुंचने का अधिकार है। कोर्ट कानून के अनुरूप मुद्दों पर सुनवाई करेगा और लोगों को उनके अधिकार दिलाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीजेआइ को पत्र लिखकर सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था। वे 'वोट चोरी' के आरोपों पर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। उनकी मांगों में सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर रोक और फिर से मतपत्रों के जरिए मतदान कराने की मांग शामिल है।

हालांकि, सीजेआइ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मुलाकात से इनकार करने का कारण पूछे जाने पर सीजेआइ ने कहा कि उन्होंने पत्र के जवाब में कुछ कारण बताए हैं और स्पष्ट किया है कि वह मुलाकात नहीं कर पाएंगे।

Deccan Chronicle, Hyderabad, 12/10/2026
Page No: 10, Size: 15.64cm × 11.67cm

NHRC probes student death

DC CORRESPONDENT
with agency inputs
RANCHI, OCT. 11

The death of a first-year engineering student at the Indian Institute of Information Technology (IIIT) Ranchi has triggered protests on the campus over alleged delays in emergency medical assistance. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of the incident and announced an investigation into possible administrative negligence.

The student, identified as Aditya, a resident of Bihar's Purnia district, was found unresponsive in his hostel room in the Khelgaon area on Saturday night. He was taken to hospital, where doctors declared him dead.

The incident came to light after hostel inmates alerted the institute administration, police said. The body was sent to the Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS) for post-mortem examination. Khelgaon police station in-charge Nirbhay Kumar said preliminary investigation suggested that examination pressure could have been a factor in the student's death.

2 RESIDENT DOCTORS HELD FOR RAGGING JUNIOR WHO DIED BY SUICIDE IN SURAT

Surat, Oct.11: Over two months after a first-year PG medical student died by suicide at Surat's Government Medical College, police on Sunday arrested two senior resident doctors for allegedly subjecting him and nine others to systemic harassment and ragging.

The accused doctors, Dikshita Ghewaria and Hina Bhut, were picked up after they evaded arrest following the death of Harsh Pandya, who was found hanging in his hostel room on August 9, The police had registered a first information report against four second-year PG students of the GMC affiliated to New Civil Hospital after Pandya was found hanging on the morning of August 9.

Tribune, Chandigarh, 12/10/2026
Page No: 10, Size: 22.57cm × 11.06cm

Rights panel to probe IIIT-Ranchi student's death

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, OCTOBER 11

The National Human Rights Commission (NHRC) will investigate the death of a first-year student at the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Ranchi, and examine alleged delays in medical treatment, administrative negligence and the circumstances surrounding the reported suicide.

NHRC member Priyank Kanoongo said on Sunday that the commission had taken cognisance of the incident and would investigate the circumstances that led to the student's death. In a post on X, Kanoongo said, "The commission would examine the alleged delay in medical treatment, administrative negligence and the circumstances surrounding the reported suicide."

He added that the commission was issuing necessary directions to the Ministry of Education, law enforcement authorities and investigating agencies in connection with the case. The development comes amid concerns over student safety, access to timely medical assistance and institutional accountability on educational campuses.

Meanwhile, students had gathered for overnight protests on campus, demanding accountability and the resignation of the institute's director and academic dean. Students alleged that emergency medical support and an ambulance were delayed significantly, claiming the student's life might have been saved if proper medical facilities and transport had been readily accessible on campus.



Students of the Indian Institute of Information Technology stage a protest after a first-year student's suicide in Ranchi, on Sunday. PTI

First-year student Aditya, from Bihar's Purnia district, was found dead in his hostel room on the night of October 10. According to the police, the body was found inside the hostel room of the victim. "The deceased was a first-year student from Bihar. He was aged between 19 and 20 years. Preliminary investigation suggests the victim was under examination pressure, with exams having started on October 8. His body was sent for post-mortem examination at RIMS," said Khelgaon police station in-charge Nirbhay Kumar.

Source: https://www.moneycontrol.com/city/crime/delhi-police-crime-branch-summons-journalist-over-jantar-mantar-sexual-assault-complaint-nhrc-seeks-report-article-14048195.html

Delhi Police Crime Branch summons journalist over Jantar Mantar sexual assault complaint; NHRC seeks report
The Crime Branch has taken up three complaints filed by independent journalists concerning the alleged incidents. No first information report (FIR) has been registered in the matter so far, according to PTI report.
The Delhi Police Crime Branch has called a journalist to appear before an investigating officer in connection with her complaint of alleged sexual assault during a protest at Jantar Mantar on October 3. The development comes as the National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report from the Delhi Police commissioner over allegations that three women journalists faced sexual harassment at the hands of police personnel during the demonstration.

The Crime Branch has taken up three complaints filed by independent journalists concerning the alleged incidents. No first information report (FIR) has been registered in the matter so far, according to PTI report.

The NHRC, meanwhile, has taken suo motu cognisance of a media report on the allegations and asked the Delhi Police commissioner to submit a report within two weeks.

Crime Branch asks journalist to join inquiry

According to the notice issued by the Crime Branch, the journalist's complaint was filed on October 3 at the Parliament Street police station before being transferred to Northern Range-1 of the Crime Branch for further inquiry.

The complainant has been directed to appear before the Assistant Commissioner of Police (ACP), Northern Range-1, at the Crime Branch office in Prashant Vihar, Delhi.

The notice also provides for a change in the scheduled appearance. If the journalist cannot attend at the stipulated time, she may propose another date and time, it states.

The transfer places the complaint with the Crime Branch for further examination. The inquiry is continuing, and the police have not registered an FIR in connection with the complaints, PTI reported.

The allegations relate to a protest held at Jantar Mantar on October 3, during which three independent women journalists reportedly complained of sexual assault or harassment involving Delhi Police personnel.

The complaints were initially received by the New Delhi district police and subsequently referred to the Crime Branch for inquiry, according to the NHRC's account of the media report.

NHRC issues notice to Delhi Police commissioner

In a statement issued on Thursday (October 8), the NHRC said it had acted on a media report published on October 5 concerning the alleged harassment of three women journalists during the Jantar Mantar protest.

The commission said it had "taken suo motu cognisance of a media report that three women journalists were subjected to sexual harassment by Delhi Police personnel during a protest at Jantar Mantar in New Delhi".

Suo motu cognisance means that a body initiates action on its own after taking note of information, rather than waiting for a formal petition to trigger proceedings.

The rights panel observed that the allegations, if established, could raise serious concerns over the protection of human rights. It has accordingly issued a notice to the Delhi Police commissioner, seeking a detailed report within two weeks.

The notice marks a separate development alongside the Crime Branch inquiry into the journalists' complaints. While the police are examining the complaints, the NHRC has sought an account from the commissioner in response to the allegations reported in the media.

The allegations remain under inquiry. The information provided by the police and the NHRC does not establish the claims as proven, and no FIR had been registered at the time of the PTI report.

NHRC flags safety concerns at Bihar school

In a separate statement on Thursday, the NHRC also took suo motu cognisance of a media report concerning the condition of a government primary school in Kiratpur, in Bihar's Darbhanga district.

The report alleged that the school's roof was still being supported temporarily by wooden benches, desks and bricks placed beneath it, months after its main supporting pillar collapsed.

According to the NHRC, the pillar had reportedly given way three to four months earlier. The makeshift arrangement was said to pose a safety risk to approximately 191 students and members of the school staff.

The commission observed that, if the reported circumstances were accurate, they raised serious questions concerning possible human rights violations.

It has issued a notice to the Darbhanga district magistrate, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

The NHRC's statement also referred to the media report published on October 5, which said the local administration appeared to be unaware of the school's condition.

The two notices concern separate matters: allegations of sexual harassment involving journalists during a Delhi protest, and reported safety risks at a government school in Bihar. In both cases, the commission has sought reports from the respective authorities within a fortnight.

The developments bring the alleged treatment of journalists at Jantar Mantar and the reported condition of the school in Darbhanga before the NHRC for examination, while the Crime Branch inquiry into the journalists' complaints remains underway.

Source: https://indianexpress.com/article/legal-news/cji-surya-kant-right-to-water-human-rights-10917801/

Right to life includes right to enjoy pollution-free water and air: CJI Surya Kant
Addressing the National Human Rights Commission's 33rd foundation day, CJI Surya Kant urged courts and human rights panels to protect the most vulnerable.
Emphasising that human rights violations require coordinated action across institutions, Chief Justice of India Surya Kant Monday called on courts, governments, and other institutions to work together to address systemic failures and protect the rights of the most vulnerable.

"Courts must intervene when constitutional rights are violated. Human rights commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention," he said.

Addressing the National Human Rights Commission's 33rd foundation day event in New Delhi and conference on 'Water-the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water', the CJI said, "A right that works for the powerful but fails the powerless is not a right in true sense.""It is a privilege with better branding. The true measure of a human rights institution is therefore not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard."He said the Constitution's promise of dignity, equality, liberty and justice must be observed "day after day, in the field, in the lock-up, in the hospital ward and in the village at the end of the road".

He cited the commission's interventions in cases involving custodial torture, deaths, bonded labour, and rights of marginalised communities. He also said the state HRC "can hear a complaint in the language in which it is made, reach the place where it has occurred and understand the local circumstances in which it has taken place".

On Article 21, he said it had evolved "into a guarantee of a life lived with dignity" and that the Supreme Court's environmental jurisprudence had recognised that the right to life includes the right to enjoy pollution-free water and air.A dry pipe is a failed promise
Acknowledging India's efforts to expand access, including household tap connections in rural areas, the CJI said the question now is whether the water is "safe, reliable and available when the family needs it".

"A mere tap is not the same as access to water. A pipe that runs dry cannot fulfil the promise that the pipe represents. And water contaminated with arsenic, fluoride or other harmful substances is not a service; it is a threat to life and health," he said.
.
He also said that rights of future generations cannot be ignored. "Every aquifer depleted, every river polluted and every source of drinking water compromised, transfers a burden to a generation that had no part in creating it."

"If human rights are ultimately about protecting human dignity, then that protection must extend across time. We must leave the posterity not merely a Constitution that promises rights, but a country in which those rights remain possible to enjoy," he said.Climate change challenge
NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian said that while the world had made progress over the past century, it was also grappling with climate change and growing inequality. He said the consequences would be

felt most severely by the vulnerable sections of society and underlined the need for human rights institutions to rethink how they respond to emerging challenges.

He said the approach to human rights was earlier “two-dimensional”, with the presumption that it was “citizen versus the state”.

“But it is not so anymore. Non-state actors now play a huge role, especially after the digital revolution... Today, in the digital world, our opinions can be manipulated, our thought processes can be influenced, and our activities, both physical and mental, can be monitored,” he said.

Source: https://english.dainikjagranmpcg.com/national/nhrc-marks-33rd-foundation-day-highlights-human-rights-challenges/article-38085

NHRC Marks 33rd Foundation Day, Highlights Human Rights Challenges

The NHRC marked its 33rd Foundation Day as Justice V. Ramasubramanian called for stronger human rights protection amid inequality, climate change and digital surveillance.

The National Human Rights Commission (NHRC) celebrated its 33rd Foundation Day in New Delhi on October 12, highlighting the need to strengthen human rights protection in response to emerging social, environmental and technological challenges. Chairperson Justice V. Ramasubramanian stressed that protecting human dignity and freedom requires institutions to adapt to changing times.

The National Human Rights Commission (NHRC) marked its 33rd Foundation Day in New Delhi on October 12, reiterating the importance of strengthening human rights protection amid evolving global challenges.

Established on October 12, 1993, the Commission has worked to promote and protect human rights across India. This year's observance focused on the need for human rights institutions to respond effectively to issues ranging from climate change and economic inequality to digital privacy and surveillance.

Addressing the occasion, NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian said that despite significant progress in healthcare, education and living standards, millions of people continue to face challenges that threaten their dignity, security and access to basic rights.Climate Change and Inequality Remain Major Challenges
Justice Ramasubramanian highlighted the continuing impact of climate change, economic inequality and social vulnerability on communities around the world.The emphasis on these issues underlined the importance of ensuring that human rights protection remains responsive to changing social and economic conditions.

Digital Privacy and Surveillance Raise Concerns
The NHRC chairperson also highlighted emerging concerns associated with technology, particularly digital privacy and surveillance.

He observed that technological systems can influence public opinion, shape people's thinking and monitor their activities. These developments raise important questions about individual freedom, privacy and the protection of human dignity in an increasingly digital society.

The remarks highlighted the need for human rights institutions to remain attentive to the effects of technological developments on citizens' rights.

NHRC Calls for Institutional Adaptation
Justice Ramasubramanian stressed that human rights institutions must strengthen their working systems and adapt to changing circumstances.

He called for a renewed commitment to safeguarding human dignity and freedom while addressing emerging challenges. The emphasis was on ensuring that institutional mechanisms remain effective as social,

environmental and technological conditions evolve.

The Foundation Day observance served as an opportunity to reflect on the Commission's role in promoting human rights and the need to keep protection mechanisms relevant to contemporary concerns.

Three Decades of Human Rights Protection

Since its establishment in 1993, the NHRC has worked towards promoting and protecting human rights in India. Its 33rd Foundation Day highlighted the continuing importance of institutional vigilance and a rights-based approach to public policy.

The challenges identified during the event indicate that human rights protection increasingly involves not only traditional concerns but also environmental risks, economic disparities and the consequences of digital technologies.

The Commission's message was that protecting human dignity and freedom requires institutions to evolve alongside these challenges.

Source: https://www.business-standard.com/amp/india-news/not-my-domain-cji-surya-kant-on-delhi-protests-against-cec-movement-curbs-126101200265_1.html

Not my domain: CJI Surya Kant on Delhi protests against CEC, movement curbs
The CJI was interacting with reporters on the sidelines of an event to commemorate the 33rd anniversary of the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan
Ye mera mudda nahin hai. (This matter doesn't pertain to my domain)," Chief Justice of India (CJI) Surya Kant said on Monday, when asked about protests against the CEC in Delhi over the past few days and the associated restrictions.

The CJI was interacting with reporters on the sidelines of an event to commemorate the 33rd anniversary of the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan here.

The last few days have seen protests against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar in different parts of Delhi. Over the weekend, the capital turned into a fortress, with massive deployment of security personnel, closure of 45 metro stations and intensive checks at the city's border points.Thousands of protesters, including Cockroach Janta Party leaders and former chief ministers, were detained.

The CJI, when asked about these protests and the restrictions on movement, said the matter was related to law and order.

"Ye mera mudda nahin hai," he said.

National Herald, Online News, 13/10/2026

Source: https://www.nationalheraldindia.com/amp/story/national/human-rights-bodies-must-reach-the-unheard-says-cji-surya-kant

Human rights bodies must reach the unheard, says CJI Surya Kant
At NHRC's 33rd Foundation Day, CJI calls for protection of vulnerable people through accountability, meaningful relief and local intervention
CJI Surya Kant said human rights institutions must be judged by their ability to reach people whose concerns go unheard

He called for accountability, effective relief and systemic changes to prevent rights violations from recurring

Speaking at the NHRC's 33rd Foundation Day, he highlighted the role of state commissions and the importance of access to clean water

Human rights institutions must measure their effectiveness by whether they reach those least able to raise their voices, rather than simply by the number of complaints they resolve, Chief Justice of India Surya Kant said on Monday.

Addressing the National Human Rights Commission's (NHRC) 33rd Foundation Day function at Vigyan Bhawan, he said constitutional commitments to dignity, equality, liberty and justice must find expression in people's everyday lives.

The CJI said the commission had grown into an institution that people turn to for justice, particularly those in remote districts who may struggle to approach a court.

Over its 33-year history, the NHRC had registered more than 24 lakh cases and disposed of over 23 lakh, with a disposal rate exceeding 98 per cent, he said. These figures, he added, reflected instances in which serious violations had been brought to public attention.

However, identifying a violation was only one part of protecting human rights. Institutions must also secure accountability, provide meaningful relief and help bring about changes that prevent similar abuses, he said.

Referring to interventions concerning custodial torture and deaths, bonded labour, silicosis caused by industrial exposure and violations affecting marginalised communities, the CJI highlighted the need to address both individual grievances and wider institutional failures.

Source: https://theprint.in/judiciary/courts-must-intervene-when-constitutional-rights-are-violated-says-cji-surya-kant/3069338/?amp

Courts must intervene when constitutional rights are violated, says CJI Surya Kant
CJI's remarks, at NHRC's 33rd Foundation Day event held with national conference on water, comes amid protests seeking CEC Gyanesh Kumar's resignation, and mass detentions in Delhi.
New Delhi: Courts must intervene when constitutional rights are violated, said Chief Justice of India Surya Kant Monday.

"Human rights commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention. Civil society can bring ground realities to the forefront, while international institutions can contribute scientific knowledge, experience and cooperation," he said as the Chief Guest at the 33rd Foundation Day of the National Human Rights Commission (NHRC), held alongside a national conference titled 'Water – The Elixir of Life'.

Addressing the systemic nature of water scarcity and contamination, the CJI said that water cannot be treated as the responsibility of any one institution.

Reflecting on Parliament's creation of the NHRC 33 years ago, the CJI pointed out that the institution has registered over 24 lakh cases and disposed of over 23 lakh, achieving a disposal rate exceeding 98 percent.

His address comes amid protests seeking Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation, and the detentions of protesters, lawyers and journalists in Delhi.

Reaffirming the commission's core mission, he said "if the Constitution is the promise, the NHRC is one of its keepers", bridging critical gaps by reaching citizens who cannot easily access formal courtrooms or speak for themselves. Emphasising the delicacy of institutional trust, the CJI noted that an institution's "moral authority is like a bank balance. It is built slowly, deposit by deposit, and it can be spent very quickly" through its inquiries and interventions.

"Human rights are not abstractions. They are as concrete as a glass of clean water in the hands of a child, and as urgent as the thirst that child feels," he said, commending the NHRC for pairing its foundation day with a conference on water. Tracing the expansion of Article 21 jurisprudence, he explained how the right to life has evolved from mere survival into a guarantee of a life lived with dignity, encompassing access to pollution-free water and air.

Rooting rights in reality, the CJI called on institutions to evaluate their impact by asking how the last person in line lives, asserting that "a right that works for the powerful but fails the powerless is not a right in true sense. It is a privilege with better branding".

He specifically identified undertrial prisoners, paperless migrant workers, abandoned elderly people, persons with disabilities, and overworked women as the true measure of human rights enforcement.

Extending this protective obligation across time, the CJI highlighted intergenerational equity, emphasising that

depleting aquifers or polluting rivers imposes an unfair burden on unborn children. Present generations, he urged, must ensure that posterity inherits a country where constitutional rights remain genuinely enjoyable.

“The commission’s interventions in cases involving custodial torture or deaths, bonded labour, industrial exposure to silicosis and protection of rights of marginalised communities, illustrate this role. They demonstrate that human rights protection must go beyond identifying a violation. It must also seek answerability, meaningful relief for those affected and changes that prevent the violation from recurring”, he said.

Welcoming the launch of the NHRC India mobile application and record digitization, the CJI noted that putting justice at citizens’ fingertips will democratise access for historically marginalised communities. Concluding his address, he envisioned the NHRC continuing as an “ever-vigilant lighthouse, guiding countless lives through the turbulent seas of injustice, toward the secure, serene shores of dignity and hope”.

Source: https://www.etvbharat.com/en/bharat/cji-rights-for-the-powerful-alone-are-mere-privilege-justice-must-reach-the-powerless-enn26101204496

Rights For The Powerful Alone Are Mere Privilege, Justice Must Reach The Powerless: CJI Kant
The CJI said that the NHRC has disposed of more than 23 lakh cases, with the disposal rate exceeding 98 per cent.
New Delhi: Chief Justice of India (CJI) Surya Kant on Monday cautioned that a right that works for the powerful but fails the powerless is not a right at all; it is a privilege with better branding.

Speaking at the 33rd Foundation Day of the National Human Rights Commission at Vigyan Bhawan in New Delhi, he said the true test of a rights institution lies not in the number of cases it decides but in whether it can be heard by those least able to speak for themselves, adding that courts must step in whenever constitutional rights are violated.

The CJI said our Constitution asks us a very practical question, and it is this: how does the last person in the line live? A right that works for the powerful but fails the powerless is not a right in the true sense. "It is a privilege with better branding. The true measure of a human rights institution is therefore not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard," said the CJI.

He added that it is the undertrial prisoner who has never met their advocate, the migrant worker who carries no papers, the elderly person abandoned by family, the person with a disability who finds every door locked, and the woman who works from dawn to dusk yet remains invisible to the systems meant to protect her.

"This is where the Human Rights Commissions, particularly the State Commissions, have a significant role to play," he said, adding that in a country as large and diverse as India, the experience of rights is often determined not in the capital, but in a remote village, a particular neighbourhood or even the household.

He said state commissions are often closer to the ground where the violation occurs. They can hear a complaint in the language in which it is made, reach the place where it has occurred and understand the local circumstances in which it has taken place, he stressed, adding that proximity gives them not merely an administrative advantage, but a life-altering responsibility.

The CJI commended the NHRC for pairing this celebration with a national conference on ‘Water as the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water’.

He underscored that access to safe and reliable water is central to human rights, warning that a dry pipe or contaminated supply is no service but "a threat to life and health." He said a pipe that runs dry cannot fulfil the promise that the pipe represents and water contaminated with arsenic, fluoride or other harmful substances is not a service; it is a threat to life and health."Government must build and maintain the systems through which water reaches people. Courts must intervene when constitutional rights are violated. Human Rights Commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention," he said.

He said the right to water must therefore be understood not only as a right of the present, but as a responsibility

towards the future. If human rights are ultimately about protecting human dignity, then that protection must extend across time, he added. “We must leave the posterity not merely a constitution that promises rights, but a country in which those rights remain possible to enjoy”, he said.

The CJI said the NHRC has grown into a "trusted address" for the aggrieved and the true measure of a human rights institution is not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard.

"Thirty-three years ago, Parliament created this Commission to stand guard over human dignity. In the years since, it has grown from a new idea into a trusted address for the aggrieved," he said.

Referring to the NHRC’s interventions in cases involving custodial torture or deaths, bonded labour, industrial exposure to silicosis and protection of rights of marginalised communities, the CJI said they demonstrate that human rights protection must go beyond identifying a violation.

The CJI said that in its 33 years, the NHRC has registered over 24 lakh cases and disposed of more than 23 lakh cases, with the disposal rate exceeding 98 per cent.

Orissa Post, Online News, 13/10/2026

Source: https://www.orissapost.com/human-rights-bodies-must-serve-the-most-vulnerable-cji-on-nhrc-foundation-day/

Human rights bodies must serve the most vulnerable: CJI on NHRC Foundation Day
New Delhi: Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant Monday said the true measure of a human rights institution lies not merely in the number of cases it decides, but in whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard.

Addressing the 33rd Foundation Day function of the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan in New Delhi, CJI Kant said the Commission had evolved from a new idea into a trusted institution for those seeking justice, while stressing the need to ensure that constitutional guarantees of dignity, equality, liberty and justice translate into everyday realities.
“Institutions, like people, are best understood on their birthdays. We look back at where they began, we look around at where they stand, and we look ahead at what they owe the people they serve,” the CJI said.

Recalling the NHRC’s journey over the past 33 years, he said it had registered more than 24 lakh cases and disposed of over 23 lakh, with a disposal rate exceeding 98 per cent.

“These figures represent not merely institutional output, but the many instances in which a grave violation has been brought into the public eye,” CJI Kant said.

He said the NHRC’s role was particularly significant for people living in remote districts who might find it difficult to approach a courtroom, describing the Commission as one of the institutions responsible for ensuring that the promises made by the Constitution reach those who need them most.

“If the Constitution is the promise, the Commission is one of its keepers. It listens to those who cannot easily speak, and it can act on its own without waiting to be asked,” he said

The CJI said that the protection of human rights must extend beyond identifying violations to ensuring accountability, meaningful relief for those affected and changes to prevent the recurrence of such incidents.

Referring to the apex human rights body’s interventions in cases involving custodial torture and deaths, bonded labour, industrial exposure to silicosis and the rights of marginalised communities, he said such work illustrated the importance of institutional intervention in addressing violations and systemic failures.

Stressing the need to focus on the most vulnerable sections of society, CJI Kant said that a right that works for the powerful but fails the powerless cannot be regarded as a right in its true sense. “It is a privilege with better branding,” he remarked.

He identified undertrial prisoners who had never met their advocates, migrant workers without documents, elderly persons abandoned by their families, persons with disabilities facing barriers and women whose concerns remained invisible to the systems meant to protect them as examples of people whose rights required greater institutional attention.

The CJI stressed that State Human Rights Commissions had a particularly important role in addressing violations at the local level, given their proximity to communities affected. “In a country as large and diverse as India, the experience of rights is often determined not in the capital, but in a remote village, a particular neighbourhood or even in the household,” he said.

CJI Kant said that while the National Commission could set standards and draw attention to broader patterns, State Commissions were often better placed to hear complaints in local languages, reach the affected areas and understand the circumstances in which violations occurred.

CJI Kant also highlighted the complementary responsibilities of different institutions in protecting human rights, saying that courts must intervene when constitutional rights are violated, while Human Rights Commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that otherwise overlooked concerns receive institutional attention.

The CJI’s address came as the NHRC marked its 33rd Foundation Day with a national conference on the theme, “Water as the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water”.

The conference featured discussions on the protection and restoration of water bodies and the safeguarding of drinking water sources to ensure safe and sustainable access to water for all.

Commending the NHRC for marking its Foundation Day with a national conference on water, CJI Kant said that human rights were not merely abstract principles but were closely connected with people’s everyday lives. “They are as concrete as a glass of clean water in the hands of a child and as urgent as the thirst that child feels,” he said.

The Foundation Day function was attended by NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian, Members Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi, Vijaya Bharathi Sayani and Priyank Kanoongo, Secretary General Piyush Goyal, senior officers and other dignitaries.

Source: https://www.tribuneindia.com/news/delhi/nhrc-foundation-day-courts-must-intervene-when-constitutional-rights-are-violated-says-cji-surya-kant/

NHRC Foundation Day: 'Courts must intervene when constitutional rights are violated,' says CJI Surya Kant
'The influence of a human rights institution does not come from the coercive force of its orders, but from the credibility it earns over time'
Chief Justice of India Surya Kant on Monday underscored the need for constitutional courts to intervene to protect fundamental rights of citizens even as he appreciated the role of the National Human Rights Commission (NHRC) for its timely interventions to investigate complaints of human rights violations
"Courts must intervene when constitutional rights are violated. Human Rights Commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention," the CJI said, addressing the NHRC's 33rd Foundation Day celebrations.
While constitutional courts exercised robust writ jurisdictions under Articles 32 and 226 of the Constitution to enforce remedies, human rights commissions possessed vital fact-finding machinery, he said."People sometimes say that the Commission can only recommend and cannot command. But I would offer an alternative perspective ... Its purpose is not to stop the waves of injustice, but to cast a guiding light for those adrift in the darkness ... The influence of a human rights institution does not come from the coercive force of its orders, but from the credibility it earns over time," the CJI noted.

The human rights bodies were uniquely equipped to initiate independent inquiries, assess administrative deficiencies on the ground, and elevate grievances of marginalised communities who often lack the resources to access formal litigation, Justice Kant said.He hailed the NHRC for growing into a "trusted address" for the aggrieved, saying the true measure of a human rights institution was not only the number of cases it decides, but if it could be heard by those least able to make themselves heard.

"Thirty-three years ago, the Parliament created this Commission to stand guard over human dignity. In the years since, it has grown from a new idea into a trusted address for the aggrieved," the CJI said. He also praised NHRC's impressive high disposal rate of 98 per cent.

NHRC Chairperson Justice V Ramasubramanian said the CJI's office was put to 'Agni Pariksha' every minute.

"The office of the Chief Justice of India has become the single most important, the most powerful, the most vibrant, and at the same time, the most vulnerable office in the country. It is an office which is put to the test of fire, Agni Pariksha, every day, nay, every minute, not necessarily by sacred souls at all times," the NHRC Chairperson said.

CJI Kant noted that the NHRC has decided to mark the event with a conference on water.

"India itself has made astronomical efforts to expand access to drinking water, including through the provision of

household tap connections in rural areas. That progress deserves commendation. But the next question must be a more demanding one: Is the water safe, reliable and available when the family needs it?" he said.

The Wire, Online News, 13/10/2026

Source: https://thewire.in/rights/cji-surya-kant-nhrc-court-internvention-delhi-prote

CJI Bats For Intervention by Courts to Stop Violation of Constitutional Rights, But Says Protests 'Not My Domain' Moreover, the conduct of the NHRC – the institution where the CJI delivered his speech on Monday – in some of the gravest instances of abuse has been deeply concerningNew Delhi: While speaking at the 33rd foundation day celebrations of the National Human Rights Commission (NHRC), Chief Justice of India (CJI) Surya Kant on Monday (October 12) said that courts must intervene when constitutional rights are violated and that the framers of the Constitution entrusted the responsibility of enforcement of various rights upon courts, reported Bar and Bench.

Notably, the remarks of the CJI came at a time when despite the order of a Supreme Court bench presided by himself which said that peaceful protesters should not be detained, police brutality continues in Delhi against those seeking the resignation of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar.
Hundreds of peaceful protesters along with journalists have been detained and injured in police action and assault by right-wing groups.

“Our Constitution has made expansive promises to every citizen, including dignity, equality, liberty and justice. These words in the Preamble are among the finest ever written, and they must be observed day after day, in the field, in the lock-up, in the hospital ward and in the village at the end of the road. The framers of our Constitution understood this, and they entrusted the responsibility of enforcement of various rights upon courts,” said CJI Kant, speaking at the NHRC foundation day on Monday.

However, even as the CJI emphasised on ensuring dignity, equality, liberty and justice, it is noteworthy that around the same time in Delhi, many of the protesters who were detained and later moved to detention camps, were not even given water for eight or more hours, a clear contradiction with the values which CJI Kant upheld in his speech on Monday.

Earlier, CJI Kant had declined the request of Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi and the Rajya Sabha leader of opposition and Congress national president Mallikarjun Kharge, for a meeting on Monday to discuss issues relating to the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
LiveLaw reported citing sources that in his reply to the official emails of the leaders of opposition, CJI Kant said that such a meeting would be inappropriate as the issues sought to be raised are already sub judice before the Supreme Court.

“Courts must intervene when constitutional rights are violated. Human Rights Commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention. Civil society can bring ground realities to the forefront, while international institutions can contribute scientific knowledge, experience and cooperation,” said CJI Kant at the NHRC foundation day celebrations on Monday.

‘Ye mera mudda nahin hai’
Later, while interacting with reporters on the sidelines of the NHRC foundation day celebrations on Monday, when media personnel asked CJI Kant about the ongoing protests against the CEC in Delhi, he said, “Ye mera mudda nahin hai (This matter doesn’t pertain to my domain),” reported Press Trust of India.

He added that the matter was related to law and order.

While CJI Kant on Monday highlighted the importance of civil society in bringing ground realities to the forefront, on May 15, he had hit out at unemployed youth, compared them with cockroaches and also derided activists. “There are already parasites of society who attack the system and you want to join hands with them? There are youngsters like cockroaches, who don’t get any employment and don’t have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become other activists, and they start attacking everyone…and you people file contempt petitions!” CJI Kant had said.

Later, after widespread criticism of his remarks the CJI had clarified that that a section of the media had “misquoted him.”

Moreover, as previously reported by The Wire, the conduct of the NHRC – the institution where the CJI delivered his speech on Monday – in some of the gravest instances of abuse has been deeply concerning.

The NHRC’s silence on the arrest of student activists Umar Khalid, Sharjil Imam and Gulfisha Fatima and of human rights defender Khurram Parvez rang out on the international stage, in addition to its lack of proper action in the infamous arrests of some of the world’s renowned intellectuals in the name of being ‘anti-nationals’ in the Bhima Koregaon case.ast year, Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) decided to downgrade the status of the apex human rights body of the world’s largest democracy.

Source: https://www.outlookindia.com/national/cjis-office-is-indias-most-powerful-yet-vulnerable-institution-says-nhrc-chief

CJI's Office Is India's Most Powerful Yet Vulnerable Institution, Says NHRC Chief
NHRC chief Justice V Ramasubramanian said the Chief Justice of India faces an “Agni Pariksha” every minute, while warning of digital manipulation, climate change and widening socioeconomic inequalityJustice V Ramasubramanian, retired Supreme Court judge and chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC), on Monday said the office of the Chief Justice of India (CJI) faces an “Agni Pariksha” every minute, describing it as the country's “single most important, the most powerful, the most vibrant, and at the same time, the most vulnerable office”.He made the remarks at an event marking the NHRC's 33rd anniversary, attended by Chief Justice of India Surya Kant as the chief guest.

The comments came amid several petitions filed in the Supreme Court during the ongoing protests in Delhi, India Today reported.

Addressing the gathering, Ramasubramanian said, “The office of the Chief Justice of India is an office which is put to the test of fire, ‘Agni Pariksha’, every day, nay, every minute, not necessarily by sacred souls at all times.”

He also described the CJI's office as the “single most important, the most powerful, the most vibrant, and at the same time, the most vulnerable office in the country”. His address also covered the challenges facing human rights institutions in the wake of digital influence, climate change and growing inequality.NHRC Anniversary Remarks
The event marked 33 years since the NHRC was established on October 12, 1993.

Ramasubramanian praised the Commission's work in protecting and promoting human rights. “In the past 33 years of its existence, the Commission has done a commendable job in promoting and protecting the human rights of the people of this country,” he said.

He also thanked the CJI for accepting the invitation to attend the event as chief guest.

“Therefore, the CJI's acceptance of our invitation to be the chief guest, especially at a time when he is in great demand, is something remarkable. I owe a great deal of gratitude to him. Thank you, Chief. Given a chance, he may like to stay back,” he said, drawing a light reaction from the gathering and the CJI.Digital Rights And New Challenges
Ramasubramanian said the way human rights are understood has changed over the years. Until a few decades ago, he said, rights were largely viewed through a “two-dimensional” framework, with the citizen and the state as the principal actors.

“We presumed that it was citizen versus state. But it is not so anymore. Non-state actors now play a huge role, especially after the digital revolution has happened,” he said.

He warned that the digital world could be used to manipulate opinions, influence thought processes and monitor physical and mental activities.The day is not far when man will become a machine which may be more mechanical than the machine, and machine may become a human without being humanistic,” he said.

He called on the NHRC and other human rights institutions to adapt to these emerging challenges.

As the Commission marked its foundation day, he said, it must pledge to “reinvent ourselves to face new challenges, reaffirm our commitment to the cause of promotion and protection of human rights and re-engineer our personalities to improve our delivery system”.

He added that human rights institutions across the world must “reinvent themselves to continue to be relevant”.Climate Change & Inequality
Ramasubramanian also spoke about climate change, saying humanity faced challenges on an unprecedented scale. He said more than two trillion tonnes of carbon dioxide had entered the atmosphere since the Industrial Revolution began in 1750.

“If we continue on our current path, parts of our planet will become uninhabitable due to extreme heat,” he said. “Climate migration will increase. Food and water shortages will become more frequent. Hurricanes and floods will claim more and more victims.”

He said the climate crisis was closely linked to socioeconomic inequality, with the world's most vulnerable communities likely to bear the brunt of droughts, shortages, heatwaves, rising sea levels and forced migration.

“The world's 26 richest people own as much capital as the poorest 3.8 billion humans combined. The owners of half the world's assets would fit into a single classroom. It's no coincidence that climate and wealth are so closely linked, as they essentially share a common origin: fossil capitalism,” he said.

He added that fossil fuels had powered humanity's progress over the past two centuries but were also the “source of the extraordinary problems facing us today”.

Read all the latest breaking news on Outlook India and stay updated with top stories from India, Entertainment, Education, and around the world.

Source: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/office-of-cji-put-to-agni-pariksha-every-minute-nhrc-chief/articleshow/134887702.cms?from=mdr

Office of CJI put to 'Agni Pariksha' every minute: NHRC chief
Justice V Ramasubramanian, speaking at the NHRC anniversary, commented on the pressures faced by the Chief Justice of India. He described the office as powerful, vibrant, and vulnerable to constant scrutiny and challenges. Ramasubramanian expressed gratitude to CJI Surya Kant for accepting the invitation amid high demand for his presence. The NHRC commemorated 33 years since its establishment, emphasizing its progress in human rights.

New Delhi: The office of the Chief Justice of India (CJI) is put to "Agni Pariksha" (test of fire) every minute, "not necessarily by sacred souls" at all times, NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) said on Monday. Addressing an event on the 33rd anniversary of the NHRC at Vigyan Bhawan here, he also said the office of the CJI has become the "single most important, the most powerful, the most vibrant, and at the same time, the most vulnerable office in the country".He made the remarks in the presence of CJI Surya Kant on the dais, who was the chief guest on the occasion.

The chairperson said, "The office of the Chief Justice of India is an office which is put to the test of fire, 'Agni Pariksha', every day, nay, every minute, not necessarily by sacred souls at all times".

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/office-of-cji-put-to-agni-pariksha-every-minute-nhrc-chief/articleshow/134887702.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst"Therefore, the CJI's acceptance of our invitation to be the chief guest, especially at a time when he is in great demand, is something remarkable. I owe a great deal of gratitude to him. Thank you, Chief. Given a chance, he may like to stay back," he said, without elaborating.

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/office-of-cji-put-to-agni-pariksha-every-minute-nhrc-chief/articleshow/134887702.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppstThe remarks from the NHRC chief drew a lighter reaction from the gathering and the CJI.

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/office-of-cji-put-to-agni-pariksha-every-minute-nhrc-chief/articleshow/134887702.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppstThe NHRC chief also thanked the CJI for accepting the invitation to be the chief guest at the event

Read more at:

Source: https://theprint.in/india/nhrc-has-grown-into-trusted-address-for-aggrieved-cji-surya-kant/3069064/

NHRC has grown into trusted address for aggrieved: CJI Surya Kant
New Delhi, Oct 12 (PTI) Chief Justice of India (CJI) Surya Kant on Monday said the NHRC has grown into a "trusted address" for the aggrieved and the true measure of a human rights institution is not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard.The CJI was speaking at the 33rd Foundation Day function of the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan here."Thirty-three years ago, Parliament created this Commission to stand guard over human dignity. In the years since, it has grown from a new idea into a trusted address for the aggrieved," he said.

"If the Constitution is the promise, the Commission is one of its keepers. It goes where the court cannot easily go; it listens to those who cannot easily speak, and it can act on its own without waiting to be asked," the CJI said.

Referring to the NHRC's interventions in cases involving custodial torture or deaths, bonded labour, industrial exposure to silicosis and protection of rights of marginalised communities, the CJI said they demonstrate that human rights protection must go beyond identifying a violation.

"It must also seek answerability, meaningful relief for those affected and changes that prevent the violation from recurring," he said.Justice Kant said the influence of a human rights institution does not come from the coercive force of its orders, but from the credibility it earns over time.

"Its moral authority is like a bank balance. It is built slowly, deposit by deposit, and it can be spent very quickly. Every careful inquiry, every timely intervention and every honest report adds to that balance," he said.

The CJI said the Constitution asks us a very practical question — how does the last person in the line live?

He said a right that works for the powerful, but fails the powerless is not a right in the true sense.

"It is a privilege with better branding. The true measure of a human rights institution is therefore not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard," he said.

NHRC Chairman V Ramasubramanian, who is a former Supreme Court judge, and others also addressed the gathering.The CJI said that in its 33 years, the NHRC has registered over 24 lakh cases and disposed of more than 23 lakh, with the disposal rate exceeding 98 per cent.

He said these figures represent not merely institutional output, but the many instances in which a grave violation has been brought into the public eye.

He said the meaning of human rights has itself widened considerably over the years, and Article 21 of the Constitution is perhaps the clearest example of this constitutional journey.

"What began as a protection against the deprivation of life and personal liberty has evolved into a guarantee of a

life lived with dignity. The right to health, food, shelter, livelihood and a clean environment are now understood as essential to that dignity," he said.

He said the Supreme Court's environmental jurisprudence has given concrete expression to this understanding by recognising that the right to life includes the right to enjoy pollution-free water and air.

"The constitutional question, therefore, is no longer only what the State must refrain from doing, but also what it must ensure so that people can live with dignity. Few issues bring this responsibility into sharper focus than access to safe and reliable water," he said.The CJI commended the NHRC for pairing this celebration with a national conference on 'Water as the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water'.

He said water is not only the elixir of life, but from a human rights perspective, its centrality goes much farther.

The CJI said a community without reliable access to water cannot fully enjoy the dignity that the Constitution promises.

He said India has made astronomical efforts to expand access to drinking water, including through provision of household tap connections in rural areas.

"That progress deserves commendation. But the next question must be a more demanding one: is the water safe, reliable and available when the family needs it? A mere tap is not the same as access to water," he said.

"A pipe that runs dry cannot fulfil the promise that the pipe represents. And water contaminated with arsenic, fluoride or other harmful substances is not a service; it is a threat to life and health," he said.

The CJI said these challenges also explain why water cannot be treated as the responsibility of any one institution.

He said the government must build and maintain the systems through which water reaches people."Courts must intervene when constitutional rights are violated. Human rights commissions must investigate complaints, identify systemic failures and ensure that concerns which may otherwise remain invisible receive institutional attention," he said.

The CJI said every aquifer depleted, every river polluted and every source of drinking water compromised transfers a burden to a generation that had no part in creating it.

"The right to water must therefore be understood not only as a right of the present, but as a responsibility towards the future," he said.

He also commended the NHRC for the launch of the NHRC India mobile application and the move towards digitisation of its records.Looking ahead, I see the NHRC continuing to illuminate the path to justice, expanding its reach and deepening its impact," he said. PTI ABA KND DIV

DIV

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.

Source: https://www.thehindu.com/news/national/courts-must-intervene-whenever-rights-are-violated-cji/article71575217.ece

[10:12 am, 13/10/2026] Aanand Sir: Courts have a duty to intervene whenever rights guaranteed by the Constitution are violated, Chief Justice of India (CJI) Surya Kant said on Monday (October 12, 2026), stressing that promises of dignity, equality, liberty, and justice must translate into meaningful protection for citizens.

Addressing the National Human Rights Commission's (NHRC) 33rd Foundation Day, the CJI said the institution should be assessed not just by the number of cases it deals with, but in its ability to help the voiceless.

Citing the Commission's record, he noted that the NHRC had registered more than 24 lakh cases and disposed of over 23 lakh in the 33 years since its establishment, with a disposal rate exceeding 98%.

Aiding the voiceless
"The true measure of a human rights institution is therefore not only the number of cases it decides, but whether it can be heard by those who are least able to make themselves heard," the CJI said, citing the examples of an undertrial prisoner who has never met his advocate, a migrant worker without papers, an elderly person abandoned by their family, a person with a disability who finds every door locked, and a woman who works from dawn to dusk but remains invisible to the systems meant to protect her.

While the Constitution entrusts courts with enforcing fundamental rights, the CJI observed that people in remote districts often face difficulties accessing the judicial system. Human rights commissions, he said, play a crucial role in bridging this gap by reaching those unable to speak up and taking up cases on their own initiative.

"If the Constitution is the promise, the Commission is one of its keepers," he said, underlining the NHRC's role in bringing grievances to light.
[10:12 am, 13/10/2026] Aanand Sir: Evolution of Article 21
The CJI also spoke about the expanding scope of Article 21, noting that the right to life and personal liberty has evolved into a guarantee of a dignified life, encompassing health, food, shelter, livelihood, and a clean environment.

On access to water, he said safe and reliable drinking water was integral to human dignity and the right to life. Governments, he stressed, must ensure not merely household tap connections but also the safe and dependable supply of water. Courts and human rights commissions, meanwhile, must address violations and systemic failures.

In his address, NHRC chairperson and former Supreme Court judge Justice V. Ramasubramanian described the office of the CJI as one of the country's most powerful and influential positions, but also one of its most vulnerable ones.

"It is an office which is put to the test of fire, Agni Pariksha, every day, nay, every minute, not necessarily by sacred souls at all times," he said, thanking the CJI for accepting the invitation to attend the event.

Source: https://theprint.in/india/office-of-cji-put-to-agni-pariksha-every-minute-nhrc-chief/3069355/?amp

Office of CJI put to 'Agni Pariksha' every minute: NHRC chief
New Delhi, Oct 12 (PTI) The office of the Chief Justice of India (CJI) is put to "Agni Pariksha" (test of fire) every minute, "not necessarily by sacred souls" at all times, NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) said on Monday. Addressing an event on the 33rd anniversary of the NHRC at Vigyan Bhawan here, [...]
New Delhi, Oct 12 (PTI) The office of the Chief Justice of India (CJI) is put to "Agni Pariksha" (test of fire) every minute, "not necessarily by sacred souls" at all times, NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) said on Monday.

Addressing an event on the 33rd anniversary of the NHRC at Vigyan Bhawan here, he also said the office of the CJI has become the "single most important, the most powerful, the most vibrant, and at the same time, the most vulnerable office in the country".

His remarks, made in the presence of CJI Surya Kant who was the chief guest on the occasion, come in the backdrop of multiple petitions filed in the Supreme Court amid the ongoing protests in Delhi.

The chairperson said, "The office of the Chief Justice of India is an office which is put to the test of fire, 'Agni Pariksha', every day, nay, every minute, not necessarily by sacred souls at all times.""Therefore, the CJI's acceptance of our invitation to be the chief guest, especially at a time when he is in great demand, is something remarkable. I owe a great deal of gratitude to him. Thank you, Chief. Given a chance, he may like to stay back," he said, without elaborating.

The remarks from the NHRC chief drew a lighter reaction from the gathering and the CJI.

The NHRC chief also thanked the CJI for accepting the invitation to be the chief guest at the event.

He said, exactly 33 years ago, the NHRC was born on October 12, 1993.

"In the past 33 years of its existence, the Commission has done a commendable job in promoting and protecting the human rights of the people of this country," the NHRC chairperson said.

The NHRC chief said until a few decades ago, the approach to human rights issues was normally "two-dimensional".

"We presumed that it was citizen versus state. But it is not so anymore. Non-state actors now play a huge role, especially after the digital revolution has happened," he cautioned.

He highlighted that in the digital world, our opinions can be manipulated, our thought processes can be influenced and our activities, both physical and mental, can be monitored.

He warned that given this dangerous trend, the day is not far off when "man will become a machine which may be more mechanical than the machine, and machine may become a human without being humanistic".

Therefore, it is time, especially when the NHRC celebrates its foundation day, to pledge to “reinvent ourselves to face new challenges, reaffirm our commitment to the cause of promotion and protection of human rights and re-engineer our personalities to improve our delivery system,” he said.

Underlining that today’s challenges are more complex than a century ago, the NHRC chairperson asserted that it is the necessity of the time that human rights institutions throughout the world should “reinvent themselves to continue to be relevant.”

The NHRC chief flagged that humankind is facing problems on a scale unlike anything ever seen before.

Since the beginning of the Industrial Revolution in 1750, we’ve released more than two trillion tonnes of CO2 into the atmosphere, he said, adding that “If we continue on our current path, parts of our planet will become uninhabitable due to extreme heat.”

He added, “Climate migration will increase. Food and water shortages will become more frequent. Hurricanes and floods will claim more and more victims.”

The climate crisis goes hand-in-hand with another global problem — socioeconomic inequality on an unprecedented scale, he said.

The devastating consequences of global warming will be felt more by the world’s most socially and economically vulnerable, who will be most severely affected by drought, shortage, heat waves, rising sea levels and forced migration, the NHRC chief said.

“The world’s 26 richest people own as much capital as the poorest 3.8 billion humans combined. The owners of half the world’s assets would fit into a single classroom. It’s no coincidence that climate and wealth are so closely linked, as they essentially share a common origin: fossil capitalism,” he said.

Fossil fuels are the source of humanity’s extraordinary progress over the past two centuries, but also the “source of the extraordinary problems facing us today”, he said. PTI KND SHS

Millennium Post, Online News, 13/10/2026

Source: https://www.millenniumpost.in/nation/nhrc-has-grown-into-trusted-address-for-aggrieved-cji-679574

NHRC has grown into trusted address for aggrieved: CJI

New Delhi: Chief Justice of India Surya Kant on Monday said the National Human Rights Commission (NHRC) had emerged as a “trusted address” for the aggrieved, asserting that the effectiveness of a human rights institution should be judged not merely by the number of cases it disposes of but by its ability to reach the most vulnerable. Addressing the NHRC’s 33rd Foundation Day function at Vigyan Bhawan, the CJI said the commission had registered over 24 lakh cases and disposed of more than 23 lakh, achieving a disposal rate exceeding 98 per cent. He said human rights protection must go beyond identifying violations to ensuring accountability, meaningful relief for victims and systemic changes to prevent their recurrence. Referring to cases involving custodial deaths, bonded labour and silicosis, he highlighted the commission’s role in protecting marginalised communities.

A right that works for the powerful, but fails the powerless is not a right in the true sense,” Kant said, adding that the commission’s moral authority depended on credible inquiries, timely interventions and honest reporting. He also underlined the expanding scope of Article 21, saying the right to life had evolved to encompass dignity, healthcare, food, shelter, livelihood and a clean environment. Highlighting access to safe drinking water as a human rights concern, the CJI said providing household tap connections was insufficient unless water remained safe, reliable and available when needed. Contaminated water, he warned, posed a threat to life and health.

He called for coordinated efforts by governments, courts and human rights institutions to address water insecurity, cautioning that depleted aquifers and polluted rivers would burden future generations. He also welcomed the launch of the NHRC India mobile application and digitisation of records. NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd), meanwhile, described the CJI’s office as the country’s most powerful and vulnerable, saying it faced an “Agni Pariksha” every minute, “not necessarily by sacred souls” at all times. The remarks drew a lighter reaction from the gathering.

Source: https://www.indiatoday.in/india/story/nhrc-chief-says-cji-office-faces-agni-pariksha-amid-digital-climate-threats-ptag-3015597-2026-10-12

NHRC chief says CJI office faces Agni Pariksha every minute

At the NHRC's 33rd anniversary event, Justice V Ramasubramanian said the CJI's office faces an Agni Pariksha every minute. He said human rights bodies must reinvent themselves as digital manipulation, climate change and inequality deepen risks

National Human Rights Commission chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) on Monday said the office of the Chief Justice of India is put to an "Agni Pariksha" or test of fire every minute, "not necessarily by sacred souls" at all times. He said the office of the CJI has become the "single most important, the most powerful, the most vibrant, and at the same time, the most vulnerable office in the country".Ramasubramanian made the remarks at an event marking the NHRC's 33rd anniversary, with Chief Justice of India Surya Kant attending as chief guest. The comments came against the backdrop of multiple petitions being filed in the Supreme Court amid the ongoing protests in Delhi.

Addressing the gathering, the NHRC chairperson said, "The office of the Chief Justice of India is an office which is put to the test of fire, 'Agni Pariksha', every day, nay, every minute, not necessarily by sacred souls at all times." He also thanked the CJI for accepting the invitation to attend the event.

"Therefore, the CJI's acceptance of our invitation to be the chief guest, especially at a time when he is in great demand, is something remarkable. I owe a great deal of gratitude to him. Thank you, Chief. Given a chance, he may like to stay back," he said, without elaborating. The remarks drew a light reaction from the gathering and the CJI.Ramasubramanian said the NHRC was born exactly 33 years ago on October 12, 1993. "In the past 33 years of its existence, the Commission has done a commendable job in promoting and protecting the human rights of the people of this country," he said.

He said that until a few decades ago, the approach to human rights issues was usually "two-dimensional". "We presumed that it was citizen versus state. But it is not so anymore. Non-state actors now play a huge role, especially after the digital revolution has happened," he said. He added that in the digital world, opinions can be manipulated, thought processes can be influenced, and physical and mental activities can be monitored.

Warning of the risks of this trend, he said the day is not far when "man will become a machine which may be more mechanical than the machine, and machine may become a human without being humanistic". He said that as the NHRC marks its foundation day, it is time to pledge to "reinvent ourselves to face new challenges, reaffirm our commitment to the cause of promotion and protection of human rights and re-engineer our personalities to improve our delivery system".

Underlining that today's challenges are more complex than they were a century ago, the NHRC chairperson said human rights institutions across the world must "reinvent themselves to continue to be relevant". He said humankind is facing problems on a scale unlike anything seen before.Since the start of the Industrial Revolution in 1750, more than two trillion tonnes of CO_2 have been released into the atmosphere, he said. "If we continue on our current path, parts of our planet will become uninhabitable due to extreme heat," he said, adding, "Climate migration will increase. Food and water shortages will become more frequent. Hurricanes and floods will claim more and more victims."

He said the climate crisis goes hand-in-hand with another global problem, socioeconomic inequality on an unprecedented scale. The consequences of global warming, he said, will be felt most by the world's socially and economically vulnerable, who will be hit hardest by drought, shortage, heat waves, rising sea levels and forced migration.

"The world's 26 richest people own as much capital as the poorest 3.8 billion humans combined. The owners of half the world's assets would fit into a single classroom. It's no coincidence that climate and wealth are so closely linked, as they essentially share a common origin: fossil capitalism," he said. He added that fossil fuels have been the source of humanity's extraordinary progress over the past two centuries, but also the "source of the extraordinary problems facing us today".At the NHRC's 33rd anniversary event, Ramasubramanian combined praise for the institution's work with a warning that both human rights bodies and the wider world must adapt to new pressures, ranging from digital influence to climate change and inequality.

Source: https://newsonair.gov.in/nhrc-celebrates-its-33rd-foundation-day-chairperson-highlights-need-to-strengthen-human-rights-protection/

NHRC celebrates its 33rd Foundation Day; Chairperson highlights need to strengthen human rights protection
The National Human Rights Commission (NHRC) today celebrated its 33rd Foundation Day in New Delhi, highlighting the need to strengthen human rights protection in the face of emerging global and technological challenges. Established on October 12, 1993, the Commission has worked towards promoting and protecting human rights across the country. Addressing on the occasion the NHRC India Chairperson Justice V Ramasubramanian emphasised that while the world has made significant progress in healthcare, education and living standards, challenges such as climate change, economic inequality and social vulnerability continue to affect millions of people. He also highlighted growing concerns over digital privacy and surveillance, noting that technology can influence public opinion, shape people's thinking and monitor their activities. Justice Ramasubramanian stressed the need for human rights institutions to adapt to changing times, strengthen their working systems and reaffirm their commitment to safeguarding human dignity and freedom.

Source: https://m.punjabkesari.in/national/news/the-cji-has-to-undergo-a-trial-by-fire-every-minute-nhrc-chairperson-2388822?amp

CJI को हर मिनट अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता हैः NHRC अध्यक्ष

Monday, Oct 12, 2026 - 03:32 PM (IST)

नई दिल्लीः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले सच्चे ही हों। यहां विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद देश का ''सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और साथ ही सबसे संवेदनशील पद'' बन गया है।

उन्होंने ये टिप्पणियां उस समय कीं, जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंच पर मौजूद थे। एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा, ''भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ऐसा है, जिस पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले लोग सच्चे ही हों।''

उन्होंने कहा, ''इसलिए विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रधान न्यायाधीश बहुत व्यस्त हैं तो हमारे निमंत्रण को मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार करना उल्लेखनीय है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, प्रधान न्यायाधीश महोदय। मौका मिले तो शायद वह यहां रुकना भी पसंद करें।'' हालांकि, उन्होंने अपनी इस टिप्पणी का विस्तार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

एनएचआरसी अध्यक्ष की इन टिप्पणियों पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों और प्रधान न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ठीक 33 साल पहले 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा, ''अपने अस्तित्व के पिछले 33 वर्षों में आयोग ने देश के लोगों के मानवाधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने में सराहनीय काम किया है।''

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-human-rights-bodies-must-reach-those-least-able-to-make-themselves-heard-cji-on-33rd-nhrc-foundation-day-20261012112737-1375139

मानवाधिकार संस्थाओं को उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो अपनी बात सबसे कम रख पाते हैं सीजेआई सूर्यकांत

12 Oct 2026 6:26 PM

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि मानवाधिकार संस्था की असल पहचान सिर्फ उसके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि क्या वह उन लोगों की बात सुन पाती है जो अपनी बात रखने में सबसे कम सक्षम हैं।

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि मानवाधिकार संस्था की असल पहचान सिर्फ उसके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि क्या वह उन लोगों की बात सुन पाती है जो अपनी बात रखने में सबसे कम सक्षम हैं।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) के 33वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई कांत ने कहा कि आयोग एक नए विचार से आगे बढ़कर न्याय चाहने वालों के लिए एक भरोसेमंद संस्था बन गया है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरिमा, समानता, आजादी और न्याय की संवैधानिक गारंटी को रोजमर्रा की हकीकत में बदलना जरूरी है।

सीजेआई ने कहा, "संस्थाओं को भी लोगों की तरह उनके जन्मदिन पर ही सबसे बेहतर समझा जा सकता है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि उन्होंने कहां से शुरुआत की थी, हम आसपास देखते हैं कि वे अभी कहां खड़ी हैं और हम आगे देखते हैं कि जिन लोगों की वे सेवा करती हैं, उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं।"

एनएचआरसी के पिछले 33 सालों के सफर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि आयोग ने 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया, जिसकी निपटारा दर 98 प्रतिशत से अधिक रही।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "ये आंकड़े सिर्फ संस्था के काम को नहीं दिखाते, बल्कि उन कई मामलों को भी दर्शाते हैं जिनमें गंभीर उल्लंघन को लोगों के सामने लाया गया है।"

उन्होंने कहा कि एनएचआरसी की भूमिका उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो दूर-दराज के जिलों में रहते हैं और जिनके लिए अदालत तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने आयोग को उन संस्थाओं में से एक बताया जो यह सुनिश्चित करती है कि संविधान में किए गए वादे उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत है।

उन्होंने कहा, "अगर संविधान एक वादा है, तो आयोग उसके रखवालों में से एक है। यह उन लोगों की बात सुनता है जो आसानी से अपनी बात नहीं कह पाते और यह बिना किसी के कहे खुद भी कार्रवाई कर सकता है।"

सीजेआई ने कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा का दायरा सिर्फ उल्लंघनों की पहचान करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें जवाबदेही तय करना, प्रभावित लोगों को सार्थक राहत देना और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए बदलाव करना भी शामिल होना चाहिए।

हिरासत में यातना और मौत, बंधुआ मजदूरी, सिलिकोसिस जैसी औद्योगिक बीमारियों और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों से जुड़े मामलों में मानवाधिकारों की शीर्ष संस्था के दखल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे काम उल्लंघनों और सिस्टम की कमियों को दूर करने में संस्थागत दखल की अहमियत को दिखाते हैं।

समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर देते हुए सीजेआई ने कहा कि जो अधिकार ताकतवर लोगों के काम तो आता है लेकिन कमजोर लोगों के लिए बेकार साबित होता है, उसे सही मायनों में अधिकार नहीं माना जा सकता। यह बेहतर ब्रांडिंग वाली एक सुविधा है।

उन्होंने ऐसे लोगों का जिक्र किया जिनके अधिकारों पर संस्थागत स्तर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि ऐसे विचाराधीन कैदी जो कभी अपने वकीलों से नहीं मिले, बिना दस्तावेजों वाले प्रवासी मजदूर, परिवारों द्वारा छोड़े गए बुज़ुर्ग, मुश्किलों का सामना कर रहे दिव्यांग लोग और ऐसी महिलाएं जिनकी परेशानियां उन्हें सुरक्षा देने वाले सिस्टम की नजर में नहीं आ पातीं।

सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावित समुदायों के करीब होने के कारण, स्थानीय स्तर पर अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को सुलझाने में राज्य मानवाधिकार आयोगों की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने कहा, "भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में अधिकारों का अनुभव अक्सर राजधानी में नहीं, बल्कि किसी दूरदराज के गांव, किसी खास इलाके या यहां तक कि घर के भीतर होता है।"

सीजेआई ने कहा कि जहां राष्ट्रीय आयोग मानक तय कर सकता है और बड़े स्तर के पैटर्न की ओर ध्यान दिला सकता है, वहीं राज्य आयोग अक्सर स्थानीय भाषाओं में शिकायतें सुनने, प्रभावित इलाकों तक पहुंचने और उन हालात को समझने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं जिनमें अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

सीजेआई कांत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा में अलग-अलग संस्थाओं की एक-दूसरे की पूरक जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो अदालतों को दखल देना चाहिए, जबकि मानवाधिकार आयोगों को शिकायतों की जांच करनी चाहिए, सिस्टम की कमियों की पहचान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन चिंताओं पर आम तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन पर संस्थागत स्तर पर ध्यान दिया जाए।

एनएचआरसी ने "पानी जीवन का अमृत: पानी के अधिकार के जरिए मानवीय गरिमा को बढ़ावा देना" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस सम्मेलन में जल निकायों के संरक्षण और बहाली, तथा सभी के लिए पानी तक सुरक्षित और टिकाऊ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीने के पानी के स्रोतों की सुरक्षा पर चर्चा की गई।

पानी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ स्थापना दिवस मनाने के लिए एनएचआरसी की सराहना करते हुए सीजेआई ने कहा कि मानवाधिकार केवल अमूर्त सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा, "वे उतने ही ठोस हैं जितना किसी बच्चे के हाथ में साफ पानी का गिलास और उतने ही जरूरी हैं जितनी उस बच्चे को लगने वाली प्यास।"

स्थापना दिवस समारोह में एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य जस्टिस (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी और प्रियंक कानूनगो, महासचिव पीयूष गोयल, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य शामिल हुए।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Prabhasakshi, Online News, 13/10/2026

Source: https://www.prabhasakshi.com/national/chief-justice-of-india-faces-constant-trial-by-fire-says-nhrc-chairperson

CJI के पद पर आसीन व्यक्ति को हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है: NHRC के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम का संबोधन

रेनू तिवारी । Oct 12 2026 8:53PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम ने वर्तमान समय की न्याय व्यवस्था, वैश्विक चुनौतियों और डिजिटल युग के प्रभावों पर बेबाक विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत मंच पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति को हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले सच्चे ही हों। यहां विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद देश का "सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और साथ ही सबसे संवेदनशील पद" बन गया है।

उन्होंने ये टिप्पणियां उस समय कीं, जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंच पर मौजूद थे। उनकी ये टिप्पणियां दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर किये जाने के बीच आई हैं। बाद में, आयोग ने अपने अध्यक्ष के संबोधन का मूलपाठ साझा किया, जिसमें उनके हवाले से कहा गया, "यहां मौजूद खास मेहमान शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज सभी समाज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं -- चाहे वह कुदरत के कहर की वजह से हो, या लोगों के आक्रोश के कारण।" शहरखोजें

उन्होंने अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय विचार समूह, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जो समय-समय पर ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर जारी करता है। उसके द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में सरकार-विरोधी 107 प्रदर्शन हुए हैं और 57 से ज़्यादा देशों में व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। इनमें से 17 प्रदर्शन ऐसे देशों में हुए हैं जो आजाद नहीं हैं। संबोधन के मूलपाठ के मुताबिक, इसका मतलब है कि ज़्यादातर विरोध-प्रदर्शन आज़ाद देशों में ही हुए हैं।

एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा, "भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ऐसा है, जिस पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले लोग सच्चे ही हों।" उन्होंने कहा, "इसलिए विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रधान न्यायाधीश बहुत व्यस्त हैं तो मुख्य अतिथि बनने के हमारे आमंत्रण को उनका स्वीकार करना उल्लेखनीय है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, प्रधान न्यायाधीश महोदय। मौका मिले तो शायद वह यहां रुकना भी पसंद करें।" हालांकि, उन्होंने अपनी इस टिप्पणी का विस्तार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एनएचआरसी अध्यक्ष की इन टिप्पणियों पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों और प्रधान न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उल्लेख किया कि ठीक 33 साल पहले 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी।

उन्होंने कहा, "अपने अस्तित्व के पिछले 33 वर्षों में आयोग ने देश के लोगों के मानवाधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने में सराहनीय काम किया है।" एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दशक पहले तक, मानवाधिकार के मुद्दों को देखने का नजरिया आम तौर पर "द्वि-आयामी" होता था। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, "हम मानते थे कि यह मामला नागरिक बनाम 'राज्य' का है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा संचालित नहीं किये जाने वाले संस्थान भी अब बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर डिजिटल क्रांति के बाद।"

उन्होंने रेखांकित किया कि डिजिटल जगत में हमारी राय को बदला जा सकता है, हमारी सोच को प्रभावित किया जा सकता है और हमारी शारीरिक व मानसिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने आगाह किया कि इस खतरनाक चलन को देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब "मानव एक ऐसी मशीन बन जाएगा, जो खुद मशीन से भी ज़्यादा मशीनी होगा, और मशीन बिना मानवीय गुणों के मानव बन जाएगा।" आयोग के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आज की चुनौतियां एक सदी पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हैं।

उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि दुनिया भर के मानवाधिकार संस्थान "अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए खुद को नये परिवेश के अनुरूप तैयार करें।" उन्होंने कहा, "दुनिया के 26 सबसे अमीर लोगों के पास उतनी संपत्ति है, जितनी कि विश्व के सबसे गरीब 3.8 अरब लोगों की कुल संपत्ति है। यह कोई

इत्तेफाक नहीं है कि जलवायु और संपत्ति इतनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि असल में इन दोनों की जड़ एक ही है: जीवाश्म ईंधन पर आधारित पूंजीवाद।

Source: https://www.etvbharat.com/hi/bharat/cji-surya-kant-addresses-nhrc-33rd-foundation-day-at-vigyan-bhawan-delhi-hin26101205323

जो अधिकार कमजोरों के काम न आए, वो अधिकार नहीं... बेहतर ब्रांडिंग वाला विशेषाधिकार है': CJI सूर्यकांत
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि "ऐसा अधिकार जो ताकतवर लोगों के लिए तो काम करता है लेकिन कमजोरों के लिए नाकाम हो जाता है, वह असल में कोई अधिकार नहीं है- यह केवल एक विशेषाधिकार है, जिसकी ब्रांडिंग बेहतर तरीके से की गई है." सोमवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 33वें स्थापना दिवस पर उन्होंने ये बातें कहीं.

सीजेआई ने कहा कि किसी मानवाधिकार संस्था की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि उसने कितने मामलों का फैसला किया. बल्कि इस बात में है कि क्या उसकी आवाज उन लोगों तक पहुंच पाती है, जो खुद अपने लिए बोलने में सबसे ज्यादा असमर्थ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो अदालतों को आगे आना ही चाहिए.

CJI ने कहा- "हमारा संविधान हमसे एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछता है, और वह यह है कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति कैसे जी रहा है? जो अधिकार शक्तिशाली लोगों के काम आए लेकिन लाचारों की मदद न कर सके, वह सही मायने में अधिकार नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि "यह वह विचाराधीन कैदी है जो कभी अपने वकील से नहीं मिला, वह प्रवासी मजदूर है जिसके पास कोई कागजात नहीं हैं, वह बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया है, वह दिव्यांग व्यक्ति है जिसे हर दरवाजा बंद मिलता है, और वह महिला है जो सुबह से रात तक काम करती है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए बनी व्यवस्थाओं को वह कभी दिखाई नहीं देती."उन्होंने कहा, "यहीं पर मानवाधिकार आयोगों, विशेष रूप से राज्य आयोगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश में, अधिकारों का अनुभव अक्सर राजधानी में नहीं, बल्कि किसी सुदूर गांव, किसी खास पड़ोस या यहां तक कि घर के भीतर तय होता है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य आयोग अक्सर जमीनी स्तर के ज़्यादा करीब होते हैं, जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है. वे किसी शिकायत को उसी भाषा में सुन सकते हैं जिसमें वह की गई है, उस जगह पहुंच सकते हैं जहां घटना हुई है और उन स्थानीय परिस्थितियों को समझ सकते हैं जिनमें वह घटित हुई है. उन्होंने कहा कि यह नजदीकी उन्हें न केवल एक प्रशासनिक लाभ देती है, बल्कि एक जीवन बदल देने वाली जिम्मेदारी भी सौंपती है.

CJI ने 'जीवन के अमृत के रूप में जल: जल के अधिकार के माध्यम से मानव गरिमा को बढ़ावा देना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ इस स्थापना दिवस समारोह को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सराहना की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षित और भरोसेमंद पानी तक पहुंच मानवाधिकारों के केंद्र में है.उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि एक सूखा पाइप या दूषित पानी की सप्लाई कोई सेवा नहीं है, बल्कि "जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है." उन्होंने कहा कि जो पाइप सूखा पड़ा है, वह उस वादे को पूरा नहीं कर सकता जो उस पाइप को बिछाते वक्त किया गया था. आर्सेनिक, फ्लोराइड या अन्य हानिकारक पदार्थों से दूषित पानी कोई सेवा नहीं है; यह जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक सीधा खतरा है.

सीजेआई कहा कि यदि मानवाधिकारों का अंतिम उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना है, तो वह सुरक्षा समय के दायरे से परे होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें आने वाली पीढ़ी के लिए न केवल एक ऐसा संविधान छोड़ना चाहिए जो अधिकारों का वादा करता हो, बल्कि एक ऐसा देश भी देना चाहिए जिसमें उन अधिकारों का आनंद लेना संभव बना रहे."

CJI ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पीड़ितों के लिए एक "भरोसेमंद ठिकाना" बन चुका है. उन्होंने दोहराया कि किसी मानवाधिकार संस्था का असली पैमाना न केवल उसके द्वारा निपटाए गए मुकदमों की संख्या है, बल्कि यह भी है कि क्या वह उन लोगों तक पहुंच पा रही है जो खुद अपनी आवाज उठाने में सबसे कम सक्षम हैं.उन्होंने कहा, "तैंतीस साल पहले, संसद ने मानव गरिमा की रक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया था. तब से लेकर अब तक के वर्षों में, यह एक नए विचार से आगे बढ़कर पीड़ितों के लिए एक 'भरोसेमंद ठिकाना' बन चुका है."

हिरासत में प्रताड़ना या मौतों, बंधुआ मजदूरी, सिलिकोसिस जैसी औद्योगिक बीमारी के खतरों और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि ये बातें साबित करती हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल उल्लंघन की पहचान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए.

CJI ने बताया कि अपने 33 वर्षों के सफर में, NHRC ने 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए हैं. 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है. मामलों को सुलझाने की दर 98 प्रतिशत से भी अधिक रही है.

Source: https://hindi.theprint.in/india/the-person-holding-the-post-of-cji-has-to-go-through-trial-by-fire-every-minute-nhrc-chairperson/1042912/

सीजेआई के पद पर आसीन व्यक्ति को हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है : एनएचआरसी अध्यक्ष

भाषा
12 October, 2026
नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति को हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले सच्चे ही हों।

यहां विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद देश का "सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और साथ ही सबसे संवेदनशील पद" बन गया है।

उन्होंने ये टिप्पणियां उस समय कीं, जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंच पर मौजूद थे। उनकी ये टिप्पणियां दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर किये जाने के बीच आई हैं।बाद में, आयोग ने अपने अध्यक्ष के संबोधन का मूलपाठ साझा किया, जिसमें उनके हवाले से कहा गया, "यहां मौजूद खास मेहमान शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज सभी समाज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं — चाहे वह कुदरत के कहर की वजह से हो, या लोगों के आक्रोश के कारण।"

उन्होंने अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय विचार समूह, 'कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस' की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जो समय-समय पर 'ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर' जारी करता है।

उसके द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में सरकार-विरोधी 107 प्रदर्शन हुए हैं और 57 से ज़्यादा देशों में व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। इनमें से 17 प्रदर्शन ऐसे देशों में हुए हैं जो आजाद नहीं हैं। संबोधन के मूलपाठ के मुताबिक, इसका मतलब है कि ज़्यादातर विरोध-प्रदर्शन आज़ाद देशों में ही हुए हैं।एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा, "भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ऐसा है, जिस पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले लोग सच्चे ही हों।"

उन्होंने कहा, "इसलिए विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रधान न्यायाधीश बहुत व्यस्त हैं तो मुख्य अतिथि बनने के हमारे आमंत्रण को उनका स्वीकार करना उल्लेखनीय है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, प्रधान न्यायाधीश महोदय। मौका मिले तो शायद वह यहां रुकना भी पसंद करें।"

हालांकि, उन्होंने अपनी इस टिप्पणी का विस्तार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

एनएचआरसी अध्यक्ष की इन टिप्पणियों पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों और प्रधान न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने उल्लेख किया कि ठीक 33 साल पहले 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी।

उन्होंने कहा, "अपने अस्तित्व के पिछले 33 वर्षों में आयोग ने देश के लोगों के मानवाधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने में सराहनीय काम किया है।"

एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दशक पहले तक, मानवाधिकार के मुद्दों को देखने का नजरिया आम तौर पर "द्वि-आयामी" होता था।

उन्होंने आगाह करते हुए कहा, "हम मानते थे कि यह मामला नागरिक बनाम 'राज्य' का है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा संचालित नहीं किये जाने वाले संस्थान भी अब बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर डिजिटल क्रांति के बाद।"

उन्होंने रेखांकित किया कि डिजिटल जगत में हमारी राय को बदला जा सकता है, हमारी सोच को प्रभावित किया जा सकता है और हमारी शारीरिक व मानसिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

उन्होंने आगाह किया कि इस खतरनाक चलन को देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब "मानव एक ऐसी मशीन बन जाएगा, जो खुद मशीन से भी ज़्यादा मशीनी होगा, और मशीन बिना मानवीय गुणों के मानव बन जाएगा।"

आयोग के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आज की चुनौतियां एक सदी पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हैं। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि दुनिया भर के मानवाधिकार संस्थान "अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए खुद को नये परिवेश के अनुरूप तैयार करें।"

उन्होंने कहा, "दुनिया के 26 सबसे अमीर लोगों के पास उतनी संपत्ति है, जितनी कि विश्व के सबसे गरीब 3.8 अरब लोगों की कुल संपत्ति है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि जलवायु और संपत्ति इतनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि असल में इन दोनों की जड़ एक ही है: जीवाश्म ईंधन पर आधारित पूंजीवाद।"

भाषा सुभाष दिलीप

Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/india/cji-faces-daily-agni-pariksha-says-nhrc-chief-v-ramasubramanian-at-33rd-foundation-day/articleshow/134899403.cms

'CJI को हर मिनट गुजरना पड़ता है अग्निपरीक्षा से', एनएचआरसी अध्यक्ष जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम का बयान
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद पर आसीन व्यक्ति को हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है।नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति को हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले सच्चे ही हों।

विज्ञान भवन में आयोजित कर रहे थे एनएचआरसी अध्यक्ष
यहां विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद देश का "सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और साथ ही सबसे संवेदनशील पद" बन गया हैCJI सूर्यकांत भी कार्यक्रम में हुए थे शामिल
उन्होंने ये टिप्पणियां उस समय कीं, जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंच पर मौजूद थे। उनकी ये टिप्पणियां दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर किये जाने के बीच आई हैं।

आयोग ने साझा की प्रेस रिलीज
बाद में, आयोग ने अपने अध्यक्ष के संबोधन का मूलपाठ साझा किया, जिसमें उनके हवाले से कहा गया, "यहां मौजूद खास मेहमान शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज सभी समाज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं चाहे वह कुदरत के कहर की वजह से हो, या लोगों के आक्रोश के कारण।"NHRC अध्यक्ष ने किया जिक्र
उन्होंने अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय विचार समूह, 'कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस' की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जो समय-समय पर 'ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर' जारी करता है।

पिछले 12 महीनों में सरकार के खिलाफ हुए इतने प्रदर्शन
उसके द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में सरकार-विरोधी 107 प्रदर्शन हुए हैं और 57 से ज़्यादा देशों में व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। इनमें से 17 प्रदर्शन ऐसे देशों में हुए हैं जो आजाद नहीं हैं। संबोधन के मूलपाठ के मुताबिक, इसका मतलब है कि ज़्यादातर विरोध-प्रदर्शन आज़ाद देशों में ही हुए हैं।हर बार परीक्षा लेने वाले लोग सच्चे नहीं
एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा, "भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ऐसा है, जिस पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले लोग सच्चे ही हों।"

सीजेआई का जताया आभार
उन्होंने कहा, "इसलिए विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रधान न्यायाधीश बहुत व्यस्त हैं तो मुख्य अतिथि बनने के हमारे आमंत्रण को उनका स्वीकार करना उल्लेखनीय है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, प्रधान न्यायाधीश महोदय। मौका मिले तो शायद वह यहां रुकना भी पसंद करें।"CJI ने दी प्रतिक्रिया
हालांकि, उन्होंने अपनी इस टिप्पणी का विस्तार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एनएचआरसी अध्यक्ष की इन टिप्पणियों पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों और प्रधान न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी।

12 अक्टूबर 1993 को हुई थी आयोग की स्थापना
उन्होंने उल्लेख किया कि ठीक 33 साल पहले 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा, "अपने अस्तित्व के पिछले 33 वर्षों में आयोग ने देश के लोगों के मानवाधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने में सराहनीय काम किया है।"

आम तौर पर द्वि-आयामी होता था नजरिया
एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दशक पहले तक, मानवाधिकार के मुद्दों को देखने का नजरिया आम तौर पर "द्वि-आयामी" होता था। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, "हम मानते थे कि यह मामला नागरिक बनाम 'राज्य' का है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा संचालित नहीं किये जाने वाले संस्थान भी

अब बड़ी भूमिका निभाते हैं, खासकर डिजिटल क्रांति के बाद।”डिजिटल जगत में बदली जा सकती है राय
उन्होंने रेखांकित किया कि डिजिटल जगत में हमारी राय को बदला जा सकता है, हमारी सोच को प्रभावित किया जा सकता है और हमारी शारीरिक व मानसिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

आयोग के अध्यक्ष ने किया आगाह
उन्होंने आगाह किया कि इस खतरनाक चलन को देखते हुए वह दिन दूर नहीं जब “मानव एक ऐसी मशीन बन जाएगा, जो खुद मशीन से भी ज़्यादा मशीनी होगा, और मशीन बिना मानवीय गुणों के मानव बन जाएगा।”

पहले की तुलना ज्यादा जटिल है आज की चुनौतियां
आयोग के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आज की चुनौतियां एक सदी पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हैं। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि दुनिया भर के मानवाधिकार संस्थान “अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए खुद को नये परिवेश के अनुरूप तैयार करें।”26 सबसे अमीर लोगों के पास उतनी संपत्ति जितनी...
उन्होंने कहा, “दुनिया के 26 सबसे अमीर लोगों के पास उतनी संपत्ति है, जितनी कि विश्व के सबसे गरीब 3.8 अरब लोगों की कुल संपत्ति है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि जलवायु और संपत्ति इतनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि असल में इन दोनों की जड़ एक ही है: जीवाश्म ईंधन पर आधारित पूंजीवाद।”

Source: https://hindi.newsbytesapp.com/news/india/in-darbhanga-the-school-roof-supported-by-benches-was-demolished-due-to-a-pillar-collapse/tldr

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद दरभंगा का जर्जर स्कूल गिराया गया

देश
Oct 12, 2026
बिहार के दरभंगा में एक जर्जर स्कूल की इमारत को आखिर में गिरा ही दिया गया। इसकी खतरनाक हालत की खबरें काफी सुर्खियों में रही थीं।

कई महीने पहले स्कूल का एक मुख्य पिलर गिर गया था, जिसके बाद से छत को खतरनाक तरीके से बेंचों के सहारे टिकाया गया था।

राहत की बात यह रही कि सभी 191 बच्चों को 5 अक्टूबर को पास के ही एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि उनकी पढ़ाई सुरक्षित माहौल में चलती रहे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दरभंगा DM को नोटिस भेजा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और दरभंगा के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को तुरंत नोटिस भेज दिया। आयोग ने दो हफ्तों के भीतर इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है।

NHRC ने जोर देकर कहा कि बच्चों को इस तरह के खतरनाक माहौल में पढ़ने देना सिर्फ असुरक्षित ही नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है।

फिलहाल, ये 191 छात्र अब भी मिडिल स्कूल गोसवा के कैंपस में ही अपनी क्लास लगा रहे हैं।

Source: https://hindi.theprint.in/india/courts-should-intervene-in-case-of-violation-of-constitutional-rights-cji-surya-kant/1042788/

‘संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल करना चाहिए’: CJI सूर्यकांत

पानी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ NHRC के 33वें स्थापना दिवस समारोह में CJI की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है.
रुचि भट्टर
12 October, 2026
नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि जब भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अदालतों को दखल देना चाहिए.

उन्होंने कहा, “मानवाधिकार आयोगों को शिकायतों की जांच करनी चाहिए, व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मुद्दों पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें भी संस्थागत स्तर पर गंभीरता से उठाया जाए. सिविल सोसायटी जमीनी हकीकत को सामने ला सकती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैज्ञानिक जानकारी, अनुभव और सहयोग दे सकती हैं.”

उन्होंने यह बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 33वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कही. इस मौके पर ‘जल—जीवन का अमृत’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था.पानी की कमी और दूषित पानी की समस्या के बारे में बात करते हुए CJI ने कहा कि पानी की जिम्मेदारी किसी एक संस्था की नहीं मानी जा सकती.

33 साल पहले संसद द्वारा NHRC की स्थापना किए जाने का जिक्र करते हुए CJI ने बताया कि इस संस्था को अब तक 24 लाख से ज्यादा मामले मिले हैं और इनमें से 23 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है. इस तरह मामलों के निपटारे की दर 98 प्रतिशत से ज्यादा रही है.

उनका यह संबोधन ऐसे समय में आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लिया जा रहा है.आयोग के मुख्य उद्देश्य को दोहराते हुए उन्होंने कहा, “अगर संविधान एक वादा है, तो NHRC उस वादे की रक्षा करने वालों में से एक है.” उन्होंने कहा कि यह संस्था उन लोगों और औपचारिक अदालतों के बीच की अहम दूरी को कम करती है, जो आसानी से अदालतों तक नहीं पहुंच सकते या अपनी बात खुद नहीं रख सकते.

संस्थाओं पर लोगों के भरोसे की अहमियत बताते हुए CJI ने कहा, “किसी संस्था की नैतिक साख बैंक खाते में जमा पैसे की तरह होती है. इसे धीरे-धीरे, एक-एक जमा से बनाया जाता है, लेकिन जांच और दखल के दौरान इसे बहुत जल्दी खोया भी जा सकता है.”

उन्होंने कहा, “मानवाधिकार कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं. ये उतने ही ठोस हैं, जितना किसी बच्चे के हाथ में साफ पानी का गिलास, और उतने ही जरूरी हैं, जितनी उस बच्चे की प्यास.”

उन्होंने NHRC की तारीफ की कि उसने अपने स्थापना दिवस के साथ पानी पर सम्मेलन भी आयोजित किया. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जीने के अधिकार का मतलब अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीना भी है. इसमें प्रदूषण से मुक्त पानी और हवा पाने का अधिकार भी शामिल है.

अधिकारों को असल जिंदगी से जोड़ते हुए CJI ने संस्थाओं से कहा कि उन्हें यह देखकर अपने काम का आकलन करना चाहिए कि सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की जिंदगी कैसी है.

उन्होंने कहा, “जो अधिकार ताकतवर लोगों के लिए काम करता है, लेकिन कमजोर लोगों के लिए काम नहीं करता, वह सही मायने में अधिकार नहीं है. वह सिर्फ एक विशेषाधिकार है, जिसे बेहतर नाम दे दिया गया है.”

उन्होंने खास तौर पर विचाराधीन कैदियों, ऐसे प्रवासी मजदूरों जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और बहुत ज्यादा काम के बोझ से जूझ रही महिलाओं को मानवाधिकारों की रक्षा की असली कसौटी बताया.

वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों तक बढ़ाते हुए CJI ने पीढ़ियों के बीच समानता के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जमीन के नीचे मौजूद पानी के भंडार को खत्म करना या नदियों को प्रदूषित करना आने वाले बच्चों पर अनुचित बोझ डालने जैसा है. उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा देश मिले, जहां वे अपने संवैधानिक अधिकारों का सचमुच इस्तेमाल कर सकें.

उन्होंने कहा, “हिरासत में यातना या मौत, बंधुआ मजदूरी, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के कारण सिलिकोसिस बीमारी का शिकार होने वाले लोगों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा से जुड़े मामलों में आयोग का हस्तक्षेप उसकी भूमिका को दिखाता है. ये मामले बताते हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा का मतलब सिर्फ उल्लंघन की पहचान करना नहीं है. इसका मकसद जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना, प्रभावित लोगों को उचित राहत दिलाना और ऐसे बदलाव करना भी है, जिनसे उल्लंघन दोबारा न हो.”

NHRC इंडिया मोबाइल ऐप की शुरुआत और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलने के काम का स्वागत करते हुए CJI ने कहा कि लोगों को आसानी से न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने से उन समुदायों को भी मदद मिलेगी, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है.

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने उम्मीद जताई कि NHRC अन्याय के मुश्किल हालात में लोगों का रास्ता दिखाने वाली एक हमेशा सतर्क रहने वाली रोशनी की तरह काम करता रहेगा और अनगिनत लोगों को अन्याय के अशांत समुद्र से निकालकर सम्मान और उम्मीद के सुरक्षित और शांत किनारों तक पहुंचाने में मदद करेगा.

Source: https://hindi.news18.com/news/nation/those-who-demand-trial-by-fire-are-not-always-right-remarked-nhrc-chief-in-presence-of-cji-surya-kant-10903806.html

'अग्निपरीक्षा लेने वाले हर बार सच्चे नहीं होते', CJI सूर्यकांत की मौजूदगी में NHRC चीफ ने कसा तंज

CJI Suryakant: वी. रामसुब्रमण्यम ने दो टूक कहा कि देश के प्रधान न्यायाधीश को हर दिन और हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है. मंच पर स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सीजेआई सूर्यकांत की उपस्थिति में उन्होंने साफ कहा कि यह कतई जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले लोग खुद सच्चे ही हों.नई दिल्ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर) वी. रामसुब्रमण्यम ने 12 अक्टूबर को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के पद पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले सच्चे ही हों. यह बयान ऐसे समय में आया है, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सीजेआई को पत्र लिखकर उनसे सीईसी ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर ज्ञापन देने के लिए समय मांगा था, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने मिलने से इनकार कर दिया.

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद देश का "सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और साथ ही सबसे संवेदनशील पद" बन गया है. उन्होंने ये टिप्पणियां उस समय कीं, जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंच पर मौजूद थे.

एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा, "भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ऐसा है, जिस पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले लोग सच्चे ही होंउन्होंने कहा, "इसलिए विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रधान न्यायाधीश बहुत व्यस्त हैं तो हमारे निमंत्रण को मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार करना उल्लेखनीय है. मैं उनका बहुत आभारी हूं. धन्यवाद, प्रधान न्यायाधीश महोदय. मौका मिले तो शायद वह यहां रुकना भी पसंद करें. हालांकि, उन्होंने अपनी इस टिप्पणी का विस्तार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया.एनएचआरसी अध्यक्ष की इन टिप्पणियों पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों और प्रधान न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ठीक 33 साल पहले 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी. उन्होंने कहा, "अपने अस्तित्व के पिछले 33 वर्षों में आयोग ने देश के लोगों के मानवाधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने में सराहनीय काम किया है."

APN News, Online News, 13/10/2026

Source: https://apnnews.in/india-news/nhrc-foundation-day-cji-surya-kant-on-human-rights-protection-and-water-access/

NHRC की विश्वसनीयता कमजोर और वंचितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता पर टिकी है', CJI सूर्यकांत का बड़ा संदेश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की वास्तविक विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह समाज के कमजोर, वंचित और अपनी आवाज प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाने वाले लोगों को कितना संरक्षण दे पाता है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी मानवाधिकार संस्था की सफलता का आकलन केवल उसके कामकाज के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि जरूरतमंदों को न्याय और सम्मान दिलाने में उसकी भूमिका कितनी प्रभावी है।

NHRC के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए CJI ने संविधान, मानवीय गरिमा और संस्थागत जवाबदेही के बीच संबंधों पर विस्तार से बात की। इस अवसर पर 'जल—जीवन का अमृत' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छ पानी तक पहुंच को भी मानवीय गरिमा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।

CJI सूर्यकांत ने NHRC की तीन दशक से अधिक की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद द्वारा इसकी स्थापना मानव गरिमा की रक्षा और मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े मामलों में लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। समय के साथ आयोग उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है, जो अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं।

उन्होंने आयोग के कामकाज के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि NHRC अब तक 24 लाख से अधिक मामले दर्ज कर चुका है और 23 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उनके अनुसार, मामलों के निपटारे की दर 98 प्रतिशत से अधिक रही है।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इन आंकड़ों को ही आयोग की प्रभावशीलता का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता। किसी संस्था की वास्तविक उपलब्धि तब सामने आती है, जब वह उन लोगों तक सहायता पहुंचाए जिनके पास आर्थिक संसाधनों, प्रभाव या संस्थागत पहुंच की कमी होती है।

CJI ने कहा कि संविधान नागरिकों को न्याय और सम्मान का आश्वासन देता है, जबकि NHRC जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी इस आश्वासन को व्यावहारिक रूप देना है। उनके मुताबिक, आयोग उन परिस्थितियों में भी हस्तक्षेप कर सकता है, जहां पीड़ितों के लिए अदालतों तक पहुंचना आसान नहीं होता। उन्होंने आयोग की स्वतः संज्ञान लेने की क्षमता को भी महत्वपूर्ण बताया।

मुख्य न्यायाधीश ने मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति को लेकर उठने वाली आलोचनाओं के संदर्भ में उसकी भूमिका की तुलना एक प्रकाशस्तंभ से की। उन्होंने समझाया कि किसी संस्था का काम हर अन्याय को तत्काल समाप्त कर देना ही नहीं है, बल्कि पीड़ितों को सही दिशा दिखाना और न्याय की राह आसान बनाना भी है।

उन्होंने आगाह किया कि आयोग की नैतिक प्रतिष्ठा और जनता का भरोसा उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हैं। यह भरोसा लगातार ईमानदार कामकाज से बनता है, लेकिन गलतियों या विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले कदमों से तेजी से कमजोर भी हो सकता है।

CJI सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों की वास्तविक उपयोगिता का मूल्यांकन उन लोगों के अनुभवों से किया जाना चाहिए, जिन्हें भेदभाव, उपेक्षा या शोषण का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। उन्होंने विचाराधीन कैदियों, प्रवासी मजदूरों, परिवारों द्वारा उपेक्षित बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं की परिस्थितियों का उदाहरण दिया।

उन्होंने ऐसे विचाराधीन कैदियों की स्थिति का उल्लेख किया, जिन्हें अपने वकीलों से मिलने का अवसर तक नहीं मिल पाता। इसी तरह, दस्तावेजों के अभाव में परेशान होने वाले प्रवासी श्रमिकों और दुर्गम या असुलभ संस्थागत व्यवस्थाओं से जूझने वाले दिव्यांगों की समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया।

उनके संबोधन का मूल संदेश यह था कि अधिकारों का केवल कानूनों और दस्तावेजों में दर्ज होना पर्याप्त नहीं है। उनका लाभ संबंधित व्यक्ति तक पहुंचना भी जरूरी है। यदि कोई अधिकार प्रभावशाली लोगों के लिए तो कारगर हो, लेकिन कमजोर वर्गों के लिए उसका इस्तेमाल संभव न हो, तो उसकी वास्तविक समानता पर सवाल उठता है।

स्थापना दिवस समारोह के साथ आयोजित ‘जल—जीवन का अमृत’ सम्मेलन में CJI ने पानी को केवल बुनियादी सुविधा के बजाय मानवीय गरिमा और जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता स्वास्थ्य, जीवन और अन्य बुनियादी जरूरतों की पूर्ति से सीधे जुड़ी है।

उन्होंने बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों तक वास्तविक सुविधा पहुंचने के बीच अंतर स्पष्ट किया। उनके मुताबिक, किसी क्षेत्र में पानी का कनेक्शन या पाइपलाइन लगा देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यदि नल से पानी ही नहीं आता, तो उस व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

CJI ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि पानी से संबंधित नीतियों और संसाधनों के इस्तेमाल पर लिए जाने वाले फैसलों का प्रभाव केवल वर्तमान में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहता। आने वाली पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश ने NHRC India के मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की भी सराहना की। उन्होंने इसे आयोग की सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। डिजिटल माध्यम के जरिए लोगों को आयोग से जुड़ने और अपनी शिकायतों से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है।

NHRC के 33वें स्थापना दिवस पर CJI सूर्यकांत का संबोधन इस बात पर केंद्रित रहा कि मानवाधिकार संरक्षण का उद्देश्य केवल संस्थागत प्रक्रियाओं और औपचारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। संस्थाओं की जवाबदेही, जनता का विश्वास और सबसे कमजोर लोगों तक न्याय की पहुंच ही उनकी सार्थकता तय करते हैं।

Source: https://www.aajtak.in/amp/education/news/story/darbhanga-bihar-kiaratpur-primary-school-dilapidated-building-demolition-nhrc-notice-ngix-rpti-2668207-2026-10-12

आजतक की खबर का असर: दरभंगा के प्राइमरी स्कूल को बुलडोजर से गिराया गया, NHRC ने DM से मांगी रिपोर्ट
दरभंगा के कीरतपुर प्राइमरी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को गिरा दिया गया है. आजतक की खबर के बाद बिहार सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. हालांकि, इसके पहले करीब 191 कहीं और शिफ्ट किया गया था.
बिहार के दरभंगा जिले में स्थित कीरतपुर प्राइमरी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाई कर रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर आजतक की ओर से दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है. सरकार ने जर्जर सरकारी स्कूल की इमारत को गिरा दिया है. यह कार्रवाई 9 अक्टूबर को की गई. अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी संज्ञान लेते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी (DM) को नोटिस जारी किया है और आयोग ने दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. यह स्कूल दरभंगा जिले के अलीनगर ब्लॉक के कीरतपुर गांव में स्थित था. 2 अक्टूबर को बिहार के 5 अलग-अलग जिलों के सरकारी स्कूलों की हालात को आजतक ने दिखाया था, जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे.कीरतपुर स्थित स्कूल की इमारत की हालत इतनी खराब थी कि उसका एक मुख्य खंभा गिर चुका था. छत को सहारा देने के लिए बेंच, डेस्क और ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था. यहां करीब 191 बच्चे पढ़ते थे, जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी.

रिपोर्ट के बाद दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए गए बच्चे

आजतक की ओर से जब 2 अक्टूबर को स्कूल की जर्जर इमारत की स्थिति सामने आई तो लोग हैरान हो गए. इस रिपोर्ट प्रसारित होने के कुछ ही समय बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा के इस जर्जर स्कूल के मामले में संज्ञान लेते हुए सभी 191 बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया.इसके बाद 5 अक्टूबर से किरतपुर प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं पास के मध्य विद्यालय गोसवा परिसर में चलने लगीं. बच्चों को शिफ्ट करने के चार दिन बाद, 9 अक्टूबर को पुराने और जर्जर स्कूल भवन को बुलडोजर से गिरा दिया गया.

NHRC ने दरभंगा के DM से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 8 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया. आयोग ने दरभंगा के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है. NHRC ने कहा कि अगर रिपोर्ट में सामने आए तथ्य सही हैं, तो यह मानवाधिकारों से जुड़ी गंभीर चिंता का विषय है. आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन को स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी नहीं थी. अब जिला प्रशासन को इस मामले में अपनी रिपोर्ट देनी है.

कई महीने से खराब थी स्कूल की इमारत

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल का मुख्य खंभा खबर प्रसारित होने से करीब चार से पांच महीने पहले ही गिर गया था. इसके बाद छत को सहारा देने के लिए बेंच, डेस्क और ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था. इमारत के प्रभावित हिस्से में कक्षाएं बंद कर दी गई थीं और बच्चों को स्कूल परिसर में बने टिन शेड के नीचे पढ़ाया जा रहा था. स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार ने बताया कि भवन की खराब हालत के बारे में प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पत्र भी भेजे गए थे और अधिकारियों ने स्कूल का निरीक्षण भी किया था. इसके बावजूद इमारत की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया था.

Source: https://www.prabhatkhabar.com/education/nhrc-foundation-day-2026-pib-detailed-report-know-here

NHRC Foundation Day 2026: 33 साल में 24 लाख से अधिक मामले, पीड़ितों को 274 करोड़ रुपए की राहत, यहां देखें पूरा रिपोर्ट
NHRC Foundation Day 2026: द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने 12 अक्टूबर 2026 को अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया. इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.
NHRC Foundation Day 2026: कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और अन्य सदस्य भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे. स्थापना दिवस का उद्देश्य कमीशन की अब तक की यात्रा की समीक्षा करना और देश में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना था.
NHRC Report of 33 Years: 24 लाख से अधिक मामलों पर हुई कार्रवाई
12 अक्टूबर 1993 को स्थापित NHRC ने पिछले 33 वर्षों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन से जुड़े कुल 24,33,716 मामलों को संभाला है. इनमें कमीशन द्वारा Suo motu cognizance लेकर दर्ज किए गए 3,100 मामले भी शामिल हैं. PIB की वेबसाइट pib.gov.in पर दी गई प्रेस रिलीज के मुताबिक कमीशन ने 9,085 मामलों में पीड़ितों को 274 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की है.NHRC Complaint Registered: जानिए कितने मामले हुए दर्ज
कमीशन ने 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच 54,673 शिकायतें दर्ज कीं और 119 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया. इस अवधि में 80 स्थलीय जांच की गईं और 53,733 मामलों का निपटारा हुआ. इसके अलावा, 157 मामलों में पीड़ितों के लिए 9.7 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई.
मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कई पहल
NHRC ने अब तक मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर 35 एडवाइजरी जारी की हैं. इनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण, भोजन और स्वास्थ्य के अधिकार, विधवाओं के अधिकार, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति, जेलों में बंद लोगों के अधिकार और पर्यावरण प्रदूषण जैसे विषय शामिल हैं.

NHRC Research Study: पिछले 1 वर्ष में कितने रिसर्च स्टडी पर हुआ काम?
प्रेस रिलीज के अनुसार पिछले 1 वर्ष में छह रिसर्च स्टडी पूरे किए गए, जबकि 6 नए रिसर्च स्टडी शुरू किए गए. इसके अलावा विभिन्न संस्थानों के सहयोग से 66 सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. आयोग ने 687 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया.

Note: इस बारे में और अधिक जानकारी आप PIB की वेबसाइट pib.gov.in पर दी गई प्रेस रिलीज में देख सकते हैं.

Amar Ujala, Online News, 13/10/2026

Source: https://www.amarujala.com/shimla/nhrc-monitors-visit-shimla-shimla-news-c-19-sml1002-802569-2026-10-12

Shimla News: एनएचआरसी के मॉनिटर शिमला दौरे पर

शिमला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) नई दिल्ली के विशेष मॉनिटर उमाकांत आजकल शिमला दौरे पर है। वह मंगलवार को जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके अलावा वह शहर के अलावा आसपास की पंचायतों का दौरा कर यहां के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उमाकांत पंचायतीराज एवं स्थानीय स्वशासन के विशेष मॉनिटर हैं। ऐसे में बारीकी से कार्य व उनकी प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। संवाद

Source: https://www.livehindustan.com/national/nhrc-head-said-cji-have-to-pass-though-agni-pariksha-every-day-201791798168430.html

हर मिनट होती है सीजेआई की अग्निपरीक्षा, विपक्ष के प्रदर्शन के बीच बोले NHRC चीफ
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिसवी रामसुब्रमण्यम ने कहा कि सीजेआई के पद पर बैठे व्यक्तिय को हर मिनट और हर दिन एक अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष पूर्व (रिटायर्ड) वी. रामसुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले सच्चे ही होंयहां विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद देश का ''सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और साथ ही सबसे संवेदनशील पद'' बन गया है।

उन्होंने ये टिप्पणियां उस समय कीं, जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंच पर मौजूद थे। एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा, ''भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ऐसा है, जिस पर आसीन व्यक्ति को हर दिन, बल्कि हर मिनट 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परीक्षा लेने वाले लोग सच्चे ही हों।''

उन्होंने कहा, ''इसलिए विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रधान न्यायाधीश बहुत व्यस्त हैं तो हमारे निमंत्रण को मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार करना उल्लेखनीय है। मैं उनका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, प्रधान न्यायाधीश महोदय। मौका मिले तो शायद वह यहां रुकना भी पसंद करें।'' हालांकि, उन्होंने अपनी इस टिप्पणी का विस्तार से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।एनएचआरसी अध्यक्ष की इन टिप्पणियों पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों और प्रधान न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ठीक 33 साल पहले 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी।उन्होंने कहा, ''अपने अस्तित्व के पिछले 33 वर्षों में आयोग ने देश के लोगों के मानवाधिकारों को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने में सराहनीय काम किया है।''

Source: https://www.aajtak.in/amp/india/news/story/cji-suryakant-nhrc-human-rights-constitutional-rights-importance-ntc-acwi-rpti-2668353-2026-10-12

कोर्ट को करना चाहिए हस्तक्षेप जब...', संवैधानिक अधिकारों को लेकर क्या बोले CJI
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने NHRC के स्थापना दिवस समारोह में मानवाधिकारों की अहमियत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संस्थाओं की ताकत उनके आदेशों की मजबूती में नहीं, बल्कि विश्वसनीयता में होती है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को NHRC के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने मानवाधिकारों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जो अधिकार ताकतवर लोगों के नाम आते हैं, लेकिन कमजोरों के लिए बेकार साबित होते हैं, वह असल में अधिकार नहीं बल्कि बेहतर ब्रांडिंग वाला विशेषाधिकार है.

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संस्थाओं की असली ताकत उनके आदेशों को जबरदस्ती लागू कराने की क्षमता में नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता में होती है. उन्होंने कहा कि यह विश्वसनीयता धीरे-धीरे बनती है, लेकिन तेजी से खत्म हो सकती है. हर निष्पक्ष जांच, समय पर हस्तक्षेप और ईमानदार रिपोर्ट से संस्थाओं का नैतिक अधिकार मजबूत होता है. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मानवाधिकार संस्थाओं को सिर्फ उनके द्वारा सुलझाए गए मामलों की संख्या से नहीं आंकना चाहिए. CJI के मुताबिक, आयोग का महत्व उन मुद्दों को सामने लाने और उन लोगों को न्याय दिलाने में है जिनकी आवास अक्सर अनसुनी कर दी जाती है.

उन्होंने संविधान में दिए गए अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा करता है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में लिखे गए सबसे बेहरतरीन हैं और इनका पालन होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सिविल सोसाइटी जमीनी हकीकत सामने लाने में खास भूमिका निभाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयासों को मजबूत कर सकती है.

Source: https://www.jagran.com/news/national-cji-suryakant-nhrc-a-trusted-haven-guardian-of-constitution-40402991.html

अगर संविधान वादा है, तो आयोग उसके रखवालों में से एक', NHRC के 33वें स्थापना दिवस पर बोले CJI सूर्यकांत
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने NHRC के 33वें स्थापना दिवस पर कहा कि आयोग पीड़ितों के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना और संविधान का रखवाला है, जो सबसे कमजोर लोगों की आवाज बनता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एक भरोसेमंद ठिकाना बन गया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग की असली कसौटी सिर्फ यह नहीं है कि वह कितने मामलों का निपटारा करता है, बल्कि यह भी है कि क्या वहां उन लोगों की आवाज सुनी जा सकती है, जो अपनी बात कहने में सबसे कम सक्षम हैं।

एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'अगर संविधान एक वादा है, तो आयोग उसके रखवालों में से एक है। इसकी पहुंच उन जगहों तक है जहां अदालत आसानी से नहीं पहुंच सकती; यह उन लोगों की सुनता है जो आसानी से बोल नहीं सकते और किसी के कहने का इंतजार किए बिना खुद कार्रवाई कर सकता है।'
इस संदर्भ में उन्होंने हिरासत में यातना या मौत, बंधुआ मजदूरी, औद्योगिक क्षेत्रों में सिलिकोसिस के खतरे और हाशिये पर रह रहे समुदायों के अधिकारों की रक्षा से जुड़े मामलों में उसके हस्तक्षेप का जिक्र किया।

सीजेआई ने कहा कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में शुरू हुआ यह अधिकार, गरिमा से जीवन जीने की गारंटी बन गया है। स्वास्थ्य, भोजन, आश्रय, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अब उस मानवीय गरिमा के लिए आवश्यक माना जाता है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी शामिल है।उन्होंने 'जल- जीवन का अमृत : पानी के अधिकार के जरिये मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ इस आयोजन के लिए एनएचआरसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पेयजल तक पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं, लेकिन अब अगला सवाल और भी अहम होना चाहिए। क्या पानी सुरक्षित और भरोसेमंद है और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध है?

आर्सेनिक, फ्लोराइड या अन्य हानिकारक पदार्थों से दूषित पानी सेवा नहीं, बल्कि जीवन व स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि घटता भूजल, हर प्रदूषित नदी और पेयजल का हर प्रभावित स्रोत उस पीढ़ी पर बोझ डालता है, जिसकी उसमें कोई भूमिका नहीं थी।

हर मिनट अग्निपरीक्षा से गुजरता है सीजेआई का कार्यालय : एनएचआरसी प्रमुख
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) वी. रामासुब्रमण्यम ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय हर दिन-हर मिनट अग्निपरीक्षा से गुजरता है और यह परीक्षा लेने वाली हमेशा पवित्र आत्माएं नहीं होतीं।

प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सीजेआई का कार्यालय देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्रिय और सबसे जोखिम वाला कार्यालय बन गया है।

उन्होंने सम्मेलन के विषय पर बोलते हुए कहा कि 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से हम वायुमंडल में दो लाख करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइआक्साइड छोड़ चुके हैं।

अगर हम मौजूदा रास्ते पर चलते रहे तो अत्यधिक गर्मी के कारण हमारे ग्रह के कुछ हिस्से रहने लायक नहीं रह जाएंगे। जलवायु के कारण पलायन बढ़ेगा। खाद्य व पानी की कमी बार-बार होगी। तूफान और बाढ़ से अधिक से अधिक लोग मारे जाएंगे।

Source: https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2322498®=3&lang=2

'पानी: जीवन का अमृत' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए एनएचआरसी की सराहना करते हुए, सीजेआई ने कहा कि पानी के अधिकार को सिर्फ वर्तमान के अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति जिम्मेदारी के तौर पर भी समझा जाना चाहिए

एनएचआरसी के अध्यक्ष, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा- आज दुनिया के सामने मौजूद मुश्किल चुनौतियों को देखते हुए, दुनिया भर के मानवाधिकार संस्थानों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए खुद को नए सिरे से ढालने की जरूरत है

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपने 33वें स्थापना दिवस के मौके पर 'जीवन के अमृत के रूप में जल: जल के अधिकार के माध्यम से मानवीय गरिमा को बढ़ावा देना' विषय पर एक कार्यक्रम और राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि भारत के संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, आजादी और न्याय जैसे कई बड़े वादे किए हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखे ये शब्द अब तक लिखे गए सबसे बेहतरीन शब्दों में से हैं और ज़मीनी स्तर पर, लॉकअप में, अस्पताल के वार्ड में और दूर-दराज के गांवों में हर दिन इनका पालन किया जाना चाहिए।पिछले कुछ सालों में एनएचआरसी के काम की तारीफ करते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि "आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक अलग नजरिए से बात करना चाहूंगा। जरा सोचिए, समाज के विशाल और अशांत सागर के किनारे अडिग खड़ा एक अकेला लाइटहाउस। इसका उद्देश्य अन्याय की लहरों को रोकना नहीं, बल्कि अंधेरे में भटक रहे लोगों को सही रास्ता दिखाने वाली रोशनी देना है।" उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोगों को शिकायतों की जांच करनी चाहिए, व्यवस्था की कमियों का पता लगाना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि जिन मुद्दों पर शायद किसी का ध्यान न जाए, उन पर संस्थागत स्तर पर ध्यान दिया जाए। सिविल सोसाइटी जमीनी हकीकत को सामने ला सकती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैज्ञानिक जानकारी, अनुभव और सहयोग के जरिए योगदान दे सकती हैं।न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकार संस्था की असली पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वह कितने मामलों का निपटारा करती है, बल्कि इस बात से होती है कि क्या वह उन लोगों की बात सुन पाती है जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। यहीं पर मानवाधिकार आयोगों, खासकर राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) की अहम भूमिका होती है। भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में, अधिकारों का अनुभव अक्सर राजधानी में नहीं, बल्कि किसी दूर-दराज गांव, किसी खास इलाके या यहां तक कि घर के भीतर होता है। राष्ट्रीय आयोग मानक तय कर सकता है और बड़े मुद्दों की ओर ध्यान दिला सकता है, लेकिन राज्य आयोग अक्सर जमीनी स्तर पर ज्यादा करीब होते हैं जहां अधिकारों का उल्लंघन होता है। वे शिकायत को उसी भाषा में सुन सकते हैं जिसमें वह की गई है, उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां घटना हुई है और उन स्थानीय हालात को समझ सकते हैं जिनमें वह घटना घटी है। यह नजदीकी उन्हें न सिर्फ़ प्रशासनिक फायदा देती है, बल्कि जिंदगी बदलने वाली जिम्मेदारी भी सौंपती है।उन्होंने इस उत्सव को 'जल जीवन का अमृत है' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ जोड़ने के लिए भी आयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसलिए पानी के अधिकार को न केवल वर्तमान के अधिकार के रूप में बल्कि भविष्य के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में भी समझा जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि भारत ने स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन के प्रावधानों सहित पीने के पानी तक पहुंच का विस्तार करने के लिए खगोलीय प्रयास किए हैं। वह प्रगति सराहना की पात्र है, लेकिन अगला प्रश्न अधिक मांग वाला होना चाहिए। क्या पानी सुरक्षित, विश्वसनीय और परिवार को जरूरत पड़ने पर उपलब्ध है? इसलिए, "सरकार को उन प्रणालियों का निर्माण और रखरखाव करना चाहिए जिनके माध्यम से पानी लोगों तक पहुंचता है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए।"उन्होंने एनएचआरसी, भारत मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च और इसके रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की दिशा में कदम के लिए भी आयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऐप उन लोगों के लिए आयोग को अधिक सुलभ बनाता है जिनके लिए पारंपरिक रूप से औपचारिक संस्थानों तक पहुंचना मुश्किल होता है।

इससे पहले, स्थापना दिवस के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए सीजेआई को धन्यवाद देते हुए, एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम ने कहा कि "सीजेआई का कार्यालय सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे जीवंत, साथ ही देश का सबसे संवेदनशील कार्यालय बन गया है, जिसे हर दिन, बल्कि हर मिनट, हर समय पवित्र आत्माओं द्वारा अग्नि परीक्षा (अग्नि परीक्षा) से गुजरना पड़ता है।"अध्यक्ष ने कहा, "इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज की दुनिया सौ साल पहले की तुलना में रहने के लिए कहीं बेहतर जगह है। लेकिन साथ ही, आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, वे पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं। इसलिए, समय की मांग है कि दुनिया भर में मानवाधिकार संस्थान खुद को नए सिरे से तैयार करें ताकि वे प्रासंगिक बने रह सकें।" न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी वैश्विक सीओ2 उत्सर्जन में केवल 14% का योगदान देती है। दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग कुल उत्सर्जन के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि जलवायु और धन इतने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मूल रूप से इनका स्रोत एक ही है: जीवाश्म पूंजीवाद (fossil capitalism)। जीवाश्म ईंधन पिछले दो सदियों में मानवता की असाधारण प्रगति का

स्रोत रहे हैं, लेकिन आज हमारे सामने मौजूद असाधारण समस्याओं का कारण भी यही हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले तक मानवाधिकार के मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण आम तौर पर दो-आयामी था। हमने मान लिया कि यह नागरिक बनाम सरकार था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। खासकर डिजिटल क्रांति के बाद से, गैर-सरकारी पक्ष अब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज, डिजिटल दुनिया में, हमारी राय में हेरफेर किया जा सकता है, हमारी विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है और हमारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। इसलिए, यह हमारे लिए समय है, खासकर जब हम एनएचआरसी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को फिर से तैयार करने, मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और अपनी वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व को फिर से तैयार करने का संकल्प लेने का समय है।

इससे पहले, एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी ने कहा कि आयोग कानून और संविधान के अनुसार सभी के मानवाधिकारों-जिनमें सम्मान और समानता का अधिकार भी शामिल है-को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचआरसी के 33 वर्षों के सफर में भले ही कुछ उतार-चढ़ाव आए हों, लेकिन यह मानवाधिकारों के लिए काम करने की अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। इसने खुली सुनवाई और कैंप बैठकों के जरिए मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है।एनएचआरसी सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि मानवाधिकार की अवधारणा प्राचीन भारतीय सभ्यता में गहराई से निहित है, जो देश के संविधान में भी परिलक्षित होती है। ऋग्वेद और उपनिषदों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि भारत के प्राचीन धर्मग्रंथों ने हमें आपसी सम्मान के साथ एक साथ रहने और संवाद और सामूहिक शक्ति के माध्यम से मानवीय गरिमा और सभी की भलाई की रक्षा करने के बारे में मार्गदर्शन किया है। इसलिए, उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए और अन्य कमजोर समूहों में से आठ लड़कियों, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए समान हितधारकों के रूप में काम करना चाहिए।एनएचआरसी के महासचिव श्री पीयूष गोयल ने अपनी शुरुआती बातों में जीवन को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा के लिए कमीशन के काम के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समय के साथ मानवाधिकारों से जुड़े विषय बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और डिजिटल दुनिया नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने 33वें स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर, आयोग ने 'जीवन के अमृत के रूप में जल: जल के अधिकार के माध्यम से मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। दो तकनीक सत्रों में 'जल निकायों का संरक्षण और बहाली: जल के अधिकार की नींव की सुरक्षा' और 'पेयजल स्रोतों की सुरक्षा: सभी के लिए जल तक सुरक्षित और टिकाऊ पहुंच सुनिश्चित करना' शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन चर्चाओं से सार्थक सुझाव सामने आएंगे।

इस कार्यक्रम में एनएचआरसी के पूर्व सदस्य, महासचिव, राज्य मानवाधिकार आयोगों और अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, न्यायपालिका, राजनयिक समुदाय, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के सदस्य, विशेष मॉनिटर और विशेष रैपोर्टेयर, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता, शोधकर्ता और एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी आदि शामिल हुए।

Source: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322525®=48&lang=2

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने अपने 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 'जीवन के अमृत के रूप में जल: जल के अधिकार से मानव गरिमा को बढ़ावा' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखना हमारी वर्तमान पीढ़ी की नैतिक जिम्मेदारी है

सम्मेलन में जल सुरक्षा, संरक्षण और इसके सतत प्रबंधन से जुड़े मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया

प्रविष्टि तिथि: 12 OCT 2026 7:12PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने अपने 33वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'जीवन के अमृत के रूप में जल: जल के अधिकार से मानव गरिमा को बढ़ावा' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सरकारी संस्थाओं, विकास संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सुरक्षित पेयजल तक पहुँच, जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, जल निकायों के पुनरुद्धार, सामुदायिक भागीदारी तथा जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने से जुड़े मानव अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया।जल संरक्षण, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी' विषय पर आयोजित पहले सत्र को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) श्री बृजेंद्र स्वरूप ने जोर देकर कहा कि पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती जल तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच मानव गरिमा का मूल आधार है। नमामि गंगे कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण और 'निर्मल धारा' (प्रदूषण मुक्त प्रवाह), 'अविरल धारा' (निरंतर प्रवाह) को सुनिश्चित करने के साथ-साथ गंगा के भूगर्भीय और पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लगभग 43,326 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत वाली 527 परियोजनाओं से लैस यह कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन की बहाली, जैव विविधता संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी, अनुसंधान और आजीविका संवर्धन पर केंद्रित है।

उन्होंने व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन, पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा, आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार और जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। गंगा के कई हिस्सों में पानी की गुणवत्ता में हुए सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुनरुद्धार के प्रयासों की सफलता का मूल्यांकन केवल खर्च हुई राशि या पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज जैसे पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने जल निकायों की वैज्ञानिक मैपिंग, जलग्रहण क्षेत्र आधारित योजना, संस्थागत तालमेल और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि बहाली से पहले संरक्षण का होना आवश्यक है।नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री युगल किशोर जोशी ने भारत में जल सुरक्षा की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी वाले भारत के पास ताजे जल के वैश्विक संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है। देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता घटकर लगभग 1,300 से 1,400 घन मीटर रह गई है, जो पानी की कमी की सीमा (1,700 क्यूबिक मीटर) से भी कम है। उन्होंने जल संचयन की पारंपरिक पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ जोड़ने, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने, जल बजट तैयार करने और जल स्रोतों पर अतिक्रमण की समस्या से निपटने पर विशेष बल दिया।

लगभग 800 गाँवों को कवर करने वाली एक सामुदायिक-नेतृत्व वाली पहल का उदाहरण देते हुए, जिसमें लगभग 3 लाख रुपये प्रति जल निकाय की लागत से 731 गाँवों में जल निकायों का पुनरुद्धार पूरा किया गया था, उन्होंने सामुदायिक श्रम (श्रमदान) और निकाली गई गाद के उपयोगी इस्तेमाल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मजबूत स्थानीय संस्थाओं, बेहतर निगरानी और सफल संरक्षण पहलों को बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एस एम सहगल फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ट्रस्टी सुश्री अंजलि मखीजा ने जल और कृषि संबंधी चुनौतियों से निपटने में समुदायों, सरकार, विकास संगठनों, शिक्षण संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच आपसी सहयोग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ग्राउंडवाटर रिचार्ज, सतही जल के अतिरिक्त भंडारण, स्कूलों में वर्षा जल संचयन, जल की गुणवत्ता और जलवायु-अनुकूल एवं जल-कुशल कृषि पहलों—जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा लेजर लैंड लेवलिंग—पर फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

उन्होंने प्राथमिकताओं की पहचान करने, संसाधनों में योगदान देने और जल संरचनाओं के रखरखाव में महिला समूहों तथा ग्राम विकास समितियों की भूमिका पर जोर दिया। स्थानीय और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने जीआईएस मैपिंग, मृदा-नमी एवं

जल-गुणवत्ता की निगरानी और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ने की वकालत की। इसके साथ ही, उन्होंने सस्ती और सुलभ तकनीक, जल एवं कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व धर्मार्थ (फिलैंथ्रॉपिक) निवेश को बढ़ावा देने और एक वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए वाटर-क्रेडिट सिस्टम को विकसित करने का आह्वान भी किया।

तरुण भारत संघ के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जल के अपने अधिकार हैं और नदियों का निर्मल (शुद्ध) तथा अविरल (बिना रुकावट के बहती हुई) बने रहना बेहद जरूरी है, ताकि मानव के जल के अधिकार के साथ-साथ नदियों के पारिस्थितिक संतुलन की भी रक्षा की जा सके। भारत की प्राकृतिक संपदा और उसमें आई गिरावट पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने सामुदायिक भागीदारी, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों और पर्यावरण सुधार के माध्यम से 23 नदियों को पुनर्जीवित करने के अपने अनुभवों को साझा किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल का अधिकार, नदियों और उनके प्राकृतिक इकोसिस्टम की रक्षा करने की जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होना चाहिए। ज्ञान और जनजागरूकता को जमीनी स्तर पर सार्थक पर्यावरणीय कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, नदियों के पुनरुद्धार और आने वाली पीढ़ियों के लिए इकोलॉजिकल संतुलन को बनाए रखने के लिए पारंपरिक ज्ञान और समझ का सहारा लेने का आह्वान किया।'पेयजल सेवाओं और स्थानीय शासन को मजबूत करना' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने जोर देकर कहा कि सुरक्षित पेयजल मानव गरिमा, जनस्वास्थ्य और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि तय लक्ष्य के अनुसार लगभग 82 प्रतिशत नल-जल कनेक्शन का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा चुका है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि देश के लगभग 25 प्रतिशत ब्लॉक भूजल के लिहाज से गंभीर, अर्ध-गंभीर या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणियों में आते हैं। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि जहाँ धरातलीय जल (सतही जल) पर आधारित योजनाओं का दायरा 15 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया है, वहीं भूजल पर निर्भर योजनाओं की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से घटकर 52 प्रतिशत रह गई है।

उन्होंने ग्राम स्तर पर जल बजट तैयार करने, जल स्रोतों को सतत बनाने, डिजिटल निगरानी तथा ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया। जल-गुणवत्ता की निगरानी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 24 लाख महिलाओं को फ़ील्ड-टेस्टिंग किट के उपयोग और सुधारात्मक कदमों के लिए डेटा अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने अंतर-विभागीय तालमेल पर जोर दिया और 'जल जीवन मिशन 2.0' के तहत दिसंबर 2028 तक बुनियादी ढाँचे को पूरा करने का उल्लेख किया, जिससे सुरक्षित, विश्वसनीय और सतत पेयजल सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।प्रख्यात समाजसेवी, किसान और भूजल संरक्षणविद् श्री उमाशंकर पांडे ने सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से जल संरक्षण के अत्यधिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने जल के व्यवसायीकरण और इसकी बर्बादी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षित पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करना सरकार और समाज की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने जल साक्षरता, सामुदायिक भागीदारी और जल प्रबंधन की पारंपरिक पद्धतियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। जंगल की आग बुझाने की कोशिश करने वाली एक छोटी सी चिड़िया का उदाहरण देते हुए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले योगदान के महत्व को रेखांकित किया। जागरूकता फैलाने पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत का निर्माण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी के साथ ही शुरू होना चाहिए। उन्होंने अपने चर्चित नारे "खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़" को दोहराते हुए जल संरक्षण के एक सतत उपाय के रूप में खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण की वकालत की।

वाटर एड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आनंद शेखर ने जल को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नल से जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर घरेलू नल के पीछे एक सतत और सुरक्षित जल स्रोत का होना अनिवार्य है। वर्ष 2014 में भारत में स्वच्छता का दायरा 20 प्रतिशत से भी कम होने का स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा कि सुदृढ़ राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक निवेश और जन-भागीदारी के बल पर महज पांच वर्षों के भीतर खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया गया और सभी ग्रामीण परिवारों तक सतत स्वच्छता सेवाएं पहुंचाई गईं।

उन्होंने बताया कि अब लगभग 86 प्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल सेवाओं की पहुँच हो गई है। उन्होंने ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए गए लगभग 8.0 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से मिले अवसर पर भी प्रकाश डाला, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि विशेष रूप से जल और स्वच्छता के लिए निर्धारित की गई है, जिससे देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें अपनी सेवा वितरण प्रणाली को और मजबूत करने में सक्षम हुई हैं। जल जीवन मिशन के तहत जल स्रोतों की स्थिरता पर जोर देते हुए उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक स्वामित्व, पर्याप्त सार्वजनिक वित्तपोषण, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, बहु-हितधारक साझेदारियों और बड़े पैमाने पर सामुदायिक एकजुटता की वकालत की। उन्होंने रेखांकित किया कि लक्ष्य केवल बुनियादी ढांचा खड़ा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और सतत पेयजल सेवाओं के माध्यम से 'हर किसी के लिए और हमेशा के लिए पानी' सुनिश्चित करना होना चाहिए।

समापन सत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और जीवन के भरण-पोषण तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में 'पंचभूत' यानी प्रकृति के पांच तत्वों के महत्व पर प्रकाश डाला। जल के गुणों और विशेषताओं पर विचार करते हुए उन्होंने पैनल के सदस्यों द्वारा वकालत किए गए जल संरक्षण के सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना की और सामूहिक प्रयासों तथा हितधारकों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने समाज में श्रद्धा और आचरण के बीच के विरोधाभास को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज अक्सर उन चीज़ों की रक्षा करने में विफल रहता है जिनकी वह पूजा या आदर करता है—उदाहरण के तौर पर उन्होंने महिलाओं और जल का उल्लेख किया। उन्होंने इस अंतर को पाटने के लिए जिम्मेदार आचरण और निरंतर संरक्षण प्रयासों का आह्वान किया।अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि संरक्षण के प्रयास बिना किसी देरी के तुरंत शुरू होने चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि वर्तमान पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रयासों और बलिदानों का लाभ मिला है, इसलिए उसका यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे। उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के सम्मिलित

प्रभाव को रेखांकित करते हुए इस बात पर बल दिया कि संरक्षण पहलों के परिणाम सामने आने में भले ही दशकों लग जाएं, लेकिन इसके लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्होंने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा हेतु समय पर, निरंतर और सहयोगात्मक कार्रवाई का आह्वान किया।

एनएचआरसी के महासचिव श्री पीयूष गोयल ने दोनों विषयगत सत्रों की चर्चाओं का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों, ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों, महिला समूहों और नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत और सामुदायिक-नेतृत्व वाले शासन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन तथा गंभीर भूजल संकट से निपटने की तात्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि यद्यपि जमीनी स्तर पर अभी भी व्यापक कार्य किया जाना बाकी है, लेकिन सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच बेहतर समन्वय एक सकारात्मक और सतत राह बनाने में मदद करेगा।

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्य अतिथि, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति निमंत्रण स्वीकार करने और अपने विचार साझा करने के लिए गहरा आभार व्यक्त किया।उन्होंने मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का तथा बहुमूल्य योगदान के लिए विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिभागियों का भी धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन में शामिल सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की और मानव अधिकारों के प्रचार-प्रसार व संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया।